प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
(डी.एल.एड.)

पाठ्यक्रम-501
भारत में प्रारंभिक शिक्षा : एक सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष्य

ब्लॉक-2
समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग- I

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
A 24/25, सांस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर-62 नौएडा,
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201309
वैबसाइट : www.nios.ac.in

श्रेय अंक (4=3+1)

खण्ड	इकाई	इकाई का नाम	सैद्धान्तिक अध्ययन अवधि (घंटों में)		प्रयोगात्मक अध्ययन
			विषय-वस्तु	क्रियाकलाप	
खण्ड-1 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन	**इकाई 1**	भारतीय शिक्षा प्रणाली I	4	2	प्राचीन काल के गुरु एवं वर्तमान पेशेवर शिक्षक की तुलना
	इकाई 2	भारतीय शिक्षा प्रणाली II	5	3	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संदर्भ में किसी भी पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन
	इकाई 3	शिक्षा : एक मौलिक अधिकार	4	2	शिक्षक की भूमिका एवं दायित्वों के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण
	इकाई 4	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्विकीकरण की की संगठनात्मक संरचना	4	2	झारखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना
खण्ड-2 समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारम्भिक शिक्षा-I	**इकाई 5**	प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए व्यूहरचनाएँ	5	3	–
	इकाई 6	प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ.प्प	5	3	संबंधित विद्यालय में मध्याह्न भोजन का अनुभव
	इकाई 7	सार्विक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधान	6	3	–
खण्ड-3 समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारम्भिक शिक्षा-II	**इकाई 8**	प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधयापक तैयार करना	6	3	एक चिंतनशील शिक्षक के रूप में आपके गुणों पर विचार
	इकाई 9	सुविधाा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा	5	3	अपने क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों के विद्यालय आने एवं रूके रहने के मुद्दों पर विचार आपके विद्यालय में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपकी कार्य योजना
	इकाई 10	प्रारंभिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य	5	2	
		शिक्षण	15		
		योग	64	26	30
		कुल योग = 64 + 26 + 30 = 120 घण्टे			

ब्लॉक-2

समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग-I

इकाई 5 : प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए व्यूहरचनाएँ

इकाई 6 : प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ–II

इकाई 7 : सार्विक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन

खंड प्रस्तावना

खंड 2 में इकाई 5, 6 और 7 आदि कुल तीन इकाइयाँ हैं इससे पूर्व खंड 1 की इकाइयों में आपने राज्य स्तर, जिला स्तर तथा उप जिला स्तरों पर सार्विक प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना का अध्ययन किया है।

इस खंड 2 की इकाई 5 में हमारा फोकस कार्यनीतियों तथा उनके सार्विक प्रारंभिक शिक्षा पर प्रभाव पर होगा। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा की विभिन्न परियोजनाओं जैसे लोक जम्बिश, शिक्षा कर्मी, डी.पी.ई.पी., आदि का अध्ययन भी करेंगे।

इकाई 6 में आप सर्व शिक्षा अभियान के अनिवार्य लक्षणों, प्रबंधन तथा पुनर्रीक्षण का अध्ययन करेंगे जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

इकाई 7 में आप सार्विक प्रारंभिक शिक्षा की योजना तथा प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। इसके अध्ययन से आपको पता चल सकेगा कि अपने विद्यालय से संबंधित संसाधनों का लाभ उठाने के लिए आप किन से संपर्क कर सकते हैं तथा किन प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों का ज्ञान विद्यालयी स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने में सहायक होगा।

विषय सूची

क्रम. सं.	*पाठ का नाम*	*पृष्ठ संख्या*
1.	इकाई 5 : प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए व्यूहरचनाएँ	1
2.	इकाई 6 : प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ–II	24
3.	इकाई 7 : सार्विक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन	40

इकाई 5 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए व्यूहरचनाएँ

संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 अधिगम उद्देश्य

5.2 प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण (यू.ई.ई.)

5.3 विभिन्न राज्यो में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की परियोजना विधि

5.3.1 उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना

5.3.2 बिहार की शिक्षा परियोजना

5.3.3 लोक जम्बिश

5.3.4 शिक्षा कर्मी परियोजना

5.3.5 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाएँ – एक केस अध्ययन

5.3.5.1 सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजनाएँ

5.3.5.2 लड़कियों के लिए परियोजनाएँ

5.3.5.3 आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परियोजनाएँ

5.3.5.4 सुदूर (दूरस्थ) क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजनाएँ

5.3.5.5 विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजनाएँ

5.3.5.6 विशेष लक्ष्य समूह के लिए परियोजनाएँ (विकलांग, देवदासी बच्चियाँ, इत्यादि)

5.4 डी.पी.ई.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना)

5.4.1 डी.पी.ई.पी. के उद्देश्य

5.4.2 डी.पी.ई.पी. के मुख्य घटक

5.4.3 डी.पी.ई.पी. की कार्यान्वयन योजना

5.4.4 कार्यनीतियाँ तथा क्रियाकलाप

5.4.5 डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम का यू.ई.ई. पर प्रभाव

5.5 सारांश

5.6 शब्दावली / संकेताक्षर

5.7 संदर्भ ग्रंथ / कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

5.0 प्रस्तावना

जैसा आप जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा शैक्षिक नीति निर्धारण तथा योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षा का सरोकार राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों से है। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में राज्य सरकारों के पास शिक्षा प्रदान करने का दायित्व रहा है। 1986 में केन्द्र सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत से प्रायोजित कार्यक्रम आरंभ किए जिसके फलस्वरूप देश में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में सुधार आया। आइए, जाने कि आज के दिन भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति क्या है, इस संदर्भ में हम कहाँ खड़े हैं और राज्यों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस इकाई में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आप उन व्यूहरचनाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण को प्रभावित किया है।

5.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- महाराष्ट्र राज्य के केस अध्ययन के आधार पर सकल पंजीयन अनुपात तथा शुद्ध पंजीयन अनुपात के रूप में अपने राज्य की प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न राज्य स्तरीय परियोजनाओं की जाँच कर सकेंगे;
- अपने राज्य में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए डी.पी.ई.पी. द्वारा अपनाई गई विभिन्न व्यूहरचनाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे तथा उन का वर्णन भी कर सकेंगे; और
- अपने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण पर डी.पी.ई.पी. के प्रभाव की तुलना कर सकेंगे।

5.2 प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण (यू.ई.ई.)

आप इस बात को अवश्य समझेंगे कि अपने राज्य के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु उनके रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को हटाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है।

बच्चों में विद्यालय जाने में आने वाली विभिन्न समस्याएँ अलग–अलग राज्य में अलग–अलग

प्रकार की होती है। आगे बढ़ने से पूर्व आओ नीचे बॉक्स में दिए गए उदाहरण पर दृष्टिपात करें।

प्रकाश गाँधी पाटील जिला डुकमा के एक गाँव मोहाड़ी का रहने वाला एक चौथी कक्षा का विद्यार्थी है। उसका एक छोटा भाई है जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है और एक बड़ी बहन है जो छठी कक्षा की विद्यार्थी है। प्रकाश के पिताजी गणेश एक लौहार है जो बैलों को नाल लगाने का कार्य करते हैं। गन्ना काटने वाले बैलगाड़ियों में गन्ना ढोने के लिए अपने साथ बैल लाते हैं। इससे गणेश को काफी मात्रा में कार्य मिल जाता है। 6 महीने तक वह गन्ना काटने वालों के साथ ही रहता है। गणेश अपने परिवार के लिए दीवाली से पहले प्रत्येक वर्ष फैक्टरी स्थल पर आ जाता है।

फैक्टरी स्थल पर आने के पश्चात् प्रकाश अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जिला परिषद विद्यालयों में जाना चाहता था। परंतु गाँव के विद्यालय से जिला परिषद विद्यालय में स्थानांतरण प्राप्त करने में आने वाली प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण उसके दो वर्ष बेकार चले गए। अतः .....

अब निम्नलिखित प्रश्नों पर दृष्टिपात करें तथा बताए कि आप क्या कर सकते हैं:

- प्रकाश सोच रहा है कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दे और अपने पिता के व्यवसाय में उसका हाथ बटाएँ।
- आप प्रकाश के पिता का किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं कि वह प्रकाश की पढ़ाई जारी रख सकें।

इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए "साखर शालाएँ" आरंभ की। ये साखर शालाएँ सारे वर्ष नहीं चलती, अपितु शैक्षिक वर्ष के उत्तरार्ध में ही चलती हैं। सामान्यतः विद्यालय ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के पश्चात् जून के महीने में आरंभ होते हैं। गन्ने की पेराई के मौसम में गन्ना ढोने वाले व्यक्ति अपने परिवारों सहित फैक्टरी स्थलों के निकट आकर बस जाते हैं जो अक्तूबर से नवम्बर के मध्य आरंभ होता है। ऐसे विस्थापन (स्थानांतरण) के समय इनके बच्चे कई महीनों तक विद्यालय में नहीं जा पाते। और अगले वर्ष मार्च–अप्रैल के महीनों में जब ये परिवार अपने–अपने गाँव वापिस आते हैं तो वे बच्चे अपनी पढ़ाई वहाँ से आगे आरंभ नहीं कर पाते जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी। अतः वे विद्यालय से बाहर हो जाते हैं। साखर शालाओं में स्थानांतरण काल में (लगभग 6 महीने) उन बच्चों के लिए गन्ना मिलों के निकट सुविधाजनक समय पर कक्षाएँ लगाई जाती हैं। इन विद्यालयों को द्वितीय सिमेस्टर विद्यालय कहा जाता है।

गन्ना फार्मों पर साखर शालाएँ

इस अध्ययन के फलस्वरूप हम प्रारंभिक शिक्षा की सार्विकीकरण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण से अभिप्रायः है बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। भारत में विद्यालयी शिक्षा को मुख्यतः निम्नलिखित स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रारंभिक शिक्षा	पूर्व विद्यालयी शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I से V तक)	3 से 6 वर्ष की आयु तक 6 से 11 वर्ष की आयु तक
	उच्च प्राथमिक शिक्षाः (कक्षा VI से VIII तक)	11 से 14 वर्ष की आयु तक
माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से कक्षा X) उच्चतर या वरिष्ठ (कक्षा XI व XII)	15 से 16 वर्ष की आयु तक 17 से 18 वर्ष की आयु तक

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली के पिरामिड (सूची स्तंभ) का आधार होती है जिस पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विशेष बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभिरूान से सारे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की सुगम्यता (पहुँच) में सुधार आया है जिसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा के मार्ग को सुगम बना दिया है।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण तथा इसके पक्ष

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण को निम्नलिखित रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

"प्रत्येक व्यक्ति को अपने आपको शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर। प्रारंभिक शिक्षा के तीन पक्ष होते हैं जो नीचे आकृति 5.1 में दर्शाएँ गए हैं।

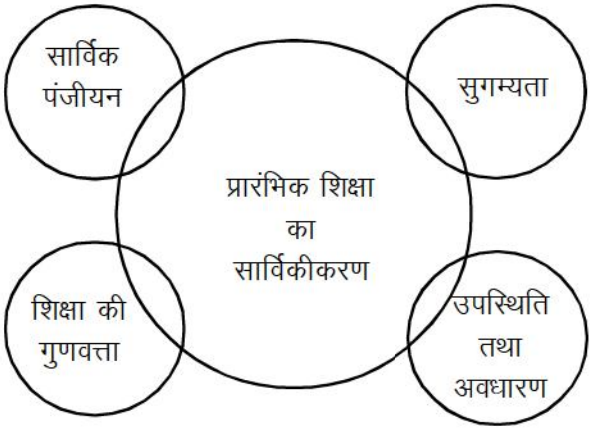

आकृति 1

- **सार्विक सुगम्यता (पहुँच) तथा पंजीयनः** विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए हाल में ही भारत सरकार ने प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। विद्यालय के द्वारा वर्ष के आरंभ में उसके अधिकारक्षेत्र में आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उन बच्चों की सूची तैयार की जाएगी जो विद्यालय जाने के योग्य हैं अथवा जो विद्यालय जाते ही नहीं हैं ताकि इन दोनों प्रकार के बच्चों को विद्यालय में लाया जा सके। जब विद्यालय आरंभ हो तो एक पंजीयन सप्ताह मानाया जाए ताकि सभी विद्यालय जाने योग्य बच्चों का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।
- **उपस्थिति तथा अवधारणः** यह अधिकाधिक रूप में अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय में पंजीकृत सुविधावंचित विद्यालय में पंजीकृत करने से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखना एक अनिवार्यता है। अतः बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए दैनिक उपस्थिति भत्ता, मुफ्त यात्रा पास, मुफ्त मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं तथा उनकी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए नई अध्ययन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
- **शिक्षा की गुणवत्ताः** इससे अभिप्राय है प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यताओं के अनुसार उच्च कोटि शिक्षा का प्रावधान करना ताकि वह अधिगम के न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। इसके साथ ढाँचागत, मूल सुविधाओं जैसे पीने योग्य पानी, शौचालय, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्येता–अध्यापक अनुपात में सुधार लाना।

क्रियाकलाप–1

कल्पना कीजिए कि किसी विद्यालय में सजीद और उसकी बहन प्रत्येक शनिवार को अनुपस्थित रहते हैं और इसके लिए वे अपने अध्यापकों से बहाना बनाते हैं। एक अध्यापक के रूप में उनकी अनुपस्थिति के विषय में जाँच पड़ताल करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा?

.....

.....

.....

5.3 विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की परियोजना विधियाँ

इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण से पूर्ण भारत सरकार ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण का आश्वासन दिया। यह आश्वासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया था। इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक मिशन रूप में किया गया, जिसका अर्थ था कि परियोजनाओं के स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथा कार्यान्वयन संबंधी समय सीमा और माइलस्टोन निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त मापनीय निष्पत्तियाँ स्पष्ट की गई तथा प्रत्येक स्तर पर उचित सहायता दी गई।

5.3.1 उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की। इस परियोजना का दायित्व ***सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद*** नामक संस्था को सौंपा गया।

परियोजना के उद्देश्य

- शिक्षा शिक्षा का सार्विकीकरणः इसके अंतर्गत दो बातें विशेष रूप से रखी गईः
  - (क) 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता
  - (ख) सार्वत्रिक भागीदारी, जब तक बच्चे औपचारिक अथवा ग़ैर–औपचारिक तरीके से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते।
- नवयुवकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रावधान
- महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा में और अधिक लिंग समानता
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर

कार्यनीतियाँ (व्यूहरचनाएँ): इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई गईः

- योजना बनाने, प्रबंधन तथा व्यावसायिक सहायता देने हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर एक दृढ़ ढाँचा खड़ा करने के लिए एक संगठन स्थापित किया गया
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूर्व बाल्यकाल शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का पुनर्रीक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, महिलाओं तथा प्रशिक्षण की शिक्षा तथा विद्यालयी प्रबंधन को मजबूत बनाना
- सुविधावंचित क्षेत्रों में अधिक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कर 10 जिलों में बेसिक शिक्षा की अभिगम्यता में सुधार लाना और विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए ग़ैर–औपचारिक शिक्षा के पुनः अभिकल्पित कार्यान्वयन को समर्थन देना।

कार्यकलाप

- संस्कृति तथा संप्रेषण संबंधी शैक्षिक कार्यकलाप
- विज्ञान और पर्यावरण
- सामाजिक न्याय की भावना का निर्माण

कार्यान्वयनः परिषद के कार्यकलाप उत्तरांचल समेत उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में से 10 लक्षित जिलों पर संकेद्रित थे। ये जिले (जनपद) थेः वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी तथा नैनीताल। 1993 से आरंभ करते हुए इस परियोजना की समय सीमा उपर्युक्त 10 जनपदों के लिए 5 वर्ष रखी गई थी परंतु 2003 तक इसका विस्तार 17 जनपदों तक करना था।

5.3.2 बिहार की शिक्षा परियोजना

इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण था। यह परियोजना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तथा इसे कार्यान्वित करने वाली एजेंसी की उपलब्धि पर आधारित थी। अर्थात् बिहार शिक्षा परियोजना का उत्तरदायित्व भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को ही सौंपा गया। यह परियोजना भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार की सांझी परियोजना थी। इसका विशेष बल समाज के सुविधावंचित वर्गों की शिक्षा, जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं पर था। यह पहली ऐसी व्यापक सर्व शिक्षा परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंध राज्य से बाहर से था। इसे पहले तीन जनपदों रांची, रोहताश तथा पश्चिमी चंपारण में आरंभ किया गया और बाद में 1992–93 में इसका विस्तार चार और जनपदों में कर दिया गया।

परियोजना के उद्देश्य

- शिक्षा शिक्षा का सार्विकीकरण जिसे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों की सार्वत्रिक उपलब्धि का एक संयुक्त कार्यक्रम समझा जाता है।
- शिक्षा पद्धति का इस प्रकार अभिमुखीकरण करना ताकि महिलाओं की समानता तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य पूरे हो सकें।
- प्रौढ़ों तथा निम्न जातियों, नृजातीय समुदायों तथा समाज के सबसे गरीब वर्गों के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए उपर्युक्त उपाय करना
- शिक्षा की पंजीयन क्षमता को बढ़ाना तथा विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा लड़कियों की ड्रापआउट दर में कमी लाना।

कार्यनीतियाँ (व्यूहरचनाएँ): इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई गईः

- लगभग 11,000 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाकक्षों का निर्माण
- लगभग 16,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती
- नवनियोजित अध्यापकों का प्रशिक्षण
- नए खोले गए विद्यालयों में आवश्यक सामग्री का प्रवाधान
- सहभागी योजना तथा कार्यान्वयन
- महिला समख्या घटक का कार्यान्चयन

कार्यकलाप

- ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजन तथा निम्नतम स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी
- एन.जी.ओ. (ग़ैर–राजकीय संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं) के माध्यम से ग़ैर–औपचारिक शिक्षा
- राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजनः अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति के लिए मुख्य कार्मिकों तथा प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करना
- महिलाओं के लिए जिला स्तर पर एक कोर समूह की रचना
- पंजीयन अभियान
- पोस्टर कार्यशालाः ग्रामीण पुस्तकालयों आदि की अवधारणा का विस्तार
- महिला समख्याः विद्यालयों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व स्थापित करना, पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा तथा ग़ैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों, सहायक विद्यालयों के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाना तथा ग्राम शिक्षा समिति में भागीदार होना

कार्यान्वयन: जिला या राज्य स्तर पर प्रबंधन संरचनाओं, महिला सशक्तिकरण, विस्तारित समुदाय संघटन, बेसित शिक्षा में अधिक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रूचि का संघटन इत्यादि स्थापित करना, कक्षाकक्षों का चयन, परियोजना का पर्यवेक्षण तथा ग्राम स्तर पर परियोजना संबंधी सूक्ष्म योजनाएँ निर्धारित की गई।

यह परियोजना 12 जिलों में चलाई गई।

5.3.3 लोक जम्बिश

लोक जम्बिश, जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है, राजस्थान सरकार ने "स्विडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट अथारिटी" (SIDA) के सहयोग से 1992 में चलाई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर–औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका मुख्य बल लड़कियों की शिक्षा तथा विकास पर है; साक्षरता के पश्चात् तथा सतत् शिक्षा पर जिसके साथ लोक संघटन के लिए कार्यकलाप आते हैं।

परियोजना के उद्देश्य

- लोक संघटन (mobilization) तथा भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना
- लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजीयन में सुधार लाना
- शिक्षा को समानता का औजार बनाकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना
- महिला और पुरुष दोनों में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 80 प्रतिशत तक साक्षरता स्तर बढ़ाना
- अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण तथा तकनीकी संसाधन, सहायक संरचना की प्रणाली का निर्माण करना
- जहाँ आँकड़ों का संग्रह किया जाता है तथा उनका उपयोग उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो जो इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना

मुख्य घटक

- कार्यक्रमों को आरंभ करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए एक ऐसी स्वायत्त संस्था का निर्माण करना, जिसमें सशक्त समिति हो जो प्रगति का पुनर्रीक्षण करें
- ग्राम स्तर पर विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म योजना लोक जम्बिश के मुख्य संचालनात्मक लक्षणों का निरूपण करते हैं। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों तथा लोक जम्बिश के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है जिससे प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता चलता रहता है।

कार्यनीतियाँ (व्यूहरचनाएँ): आधारिक स्तर पर एक क्रियाविधि या रचनातंत्र विकसित किया गया जैसे प्रेरक दल, भवन निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति कलस्टर, खंड स्तरीय शैक्षिक प्रबंधन समिति (ब्लाक लेवल प्रबंधन) तथा ब्लॉक स्टीयरिंग समूह जो प्रयोग के लिए पाँच जिलों में कार्यक्रम को सहायता देते थे तथा उसे मॉनीटर करते थे।

- पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा अध्यापकों की अभिप्रेरणा के लिए आंतरिक (स्थानीय) प्रशिक्षकों का विकास
- महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापिका मंच बनाया गया
- सभी स्तरों पर कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाई गई ताकि उस क्षेत्र में पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह हो सकें।
- कलस्टर तथा खंड स्तर पर सभी कार्यकर्त्ताओं की समीक्षा योजना मीटिंगों का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाता था ताकि पिछले कार्य का पुनर्रीक्षण हो सके तथा अगले महीने की योजना को अंतिम रूप दिया जा सकें।
- **प्रवेशोत्स्व:** प्रवेशोत्स्व एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से बच्चों में, विद्यालय में तथा समुदाय में सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सके।

कार्यकलाप: इस परियोजना में सम्मिलित कार्यकलाप नीचे दी गई सारणी 5.5 में निरूपित है:

जनजातीय बच्चों के लिए होस्टल	मौसमी प्रवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उनके लिए जो सुदूर स्थानों पर रहते हैं।
महिला शिक्षण विहार	15+ आयु वर्ग की विद्यालय से बाहर लड़कियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम चलाए गए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई लड़कियों को गुणवत्ता शिक्षा दी गई
बालिका शिक्षण विहार	9+ आयु वर्ग की लड़कियों के लिए जो विद्यालय छोड़ चुकी है 6 से 8 महीने आवासीय कैम्प, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा में पुनः दाखिल किया जा सके।
मुक्तांगन	यह कार्यक्रम उन जनजातीय बच्चों के लिए था जो किशनगंज ब्लॉक के खंडेला क्लस्टर में रहते थे।
मदरसे	भरतपुर कॉमन ब्लॉक के मुसलमान बच्चों के लिए चलाया गया
सहज शिक्षा केंद्रों का संस्थानीकरण	यह कार्यक्रम कार्यरत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है।
विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयी बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना है।
आँगनवाड़ी केन्द्र	यह पूर्व प्राथमिक विद्यालय को मजबूत करने तथा इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश द्वारा समर्थित एन.जी.ओ. "विहान" ने 245 आँगनवाड़ी केन्द्रों का उत्तरदायित्व लिया।

सारणी 5.1: *परियोजना में सम्मिलित कार्यकलाप*

5.3.4 शिक्षा कर्मी परियोजना

शिक्षाकर्मी परियोजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे राजस्थान सरकार ने 1987 से स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट अथॉरिटी के सहायता से शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया।

परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्राप्ति में एक मुख्य रोड़ा था। तदनुसार इसने एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एक एकल–अध्यापक विद्यालय में स्थापन करने का विचार किया जिसके साथ दो स्थानीय निवासी, जिन्हें शिक्षाकर्मी कहा गया, सहायतार्थ लगाए गए।

स्थानीय व्यक्तियों (शिक्षाकर्मी) की नियुक्ति के लिए अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को बहुत आवश्यक नहीं समझा गया परंतु नियुक्ति के पश्चात् उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता प्रदान की गई ताकि वे एक अध्यापक के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

परियोजना के उद्देश्य

- प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण को एक संयुक्त कार्यक्रम समझा गया जिसके अंतर्गत 6–14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों के रूप में सार्वत्रिक उपलब्धि सम्मिलित हो।
- शिक्षा प्रणाली का अभिमुखीकरण जिससे महिलाओं की समानता तथा उनके सशक्तिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।
- प्रौढ़ों तथा निम्न सामाजिक वर्गों, नृजातीय समुदायों तथा समाज के सबसे गरीब वर्गों के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करना
- कम पंजीयन की मुख्य समस्या तथा बच्चों के उच्च ड्राप आउट दर (विशेषतः लड़कियों की) की समस्या पर काबू पाना।

कार्यनीतियाँ (व्यूहरचनाएँ): इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई गईः

- शिक्षाकर्मी परियोजना के पुनर्रीक्षण के लिए SIDA द्वारा एक मॉनीटरिंग मिशन नियुक्त किया गया जो साल में दो बार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- क्षेत्र अनुभवों और आपसी सहमति के निर्णयन पर आधारित प्रविधियाँ विकसित की गई।
- अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी
- अभिगम्यता की दृष्टि से लिंग तथा सामाजिक संवेदनशीलता को समर्थन

कार्यान्वयन: परियोजना निदेशक के साथ राजस्थान सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाएँ आपस में मिलकर कार्य कर रही हैं जो शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण का डिजाइन तैयार करती है, कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण भी करती है।

इस परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्र के सुविधावंचित वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए शैक्षिक प्रयासों को पंचायत समिति, शिक्षाकर्मी सहयोगी, विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा ग्रामीण समुदाय का समर्थन अनिवार्य है।

क्रियाकलाप: इस परियोजना के मुख्य कार्यकलाप नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाते हैं:

डे–केंद्र	जब विद्यमान प्राथमिक विद्यालय, शिक्षाकर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें डे–केन्द्र का नाम दिया जाता है।
परिहार पाठशाला	जब बच्चे किसी कारण वश डे–केन्द्रों पर पढ़ने नहीं आ सकते और वे रात के समय पढ़ने आते हो तो उन्हें परिहार पाठशाला कहा जाता है।
महिला प्रकाशन केन्द्र	इस परियोजना का बल महिला शिक्षाकर्मियों की भर्ती और महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर होता है। इन केन्द्रों को महिला प्रकाशन केन्द्र कहते हैं। यह स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मी का प्रशिक्षण देते हैं।
संघटित उपागम	एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि 14 वर्ष की आयु तक जनजातीय या रेगिस्तान ब्लॉकों में 60 प्रतिशत बच्चे शारीरिक निर्योग्यताओं से पीड़ित होते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजनाएँ में इन बच्चों को डाला गया।

सारणी 5.2

क्रियाकलाप–2

1. अपने इलाके के किसी ऐसी संस्था का दौरा करें जो विद्यालय से बाहर बच्चों के साथ कार्य कर रहा हो। निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में इस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

- सामान्य सूचनाएँ: संस्था का नाम, पता, फोन नं., कार्य क्षेत्र कक्षाओं की संख्या तथा विद्यार्थी, क्या यह राज्य स्तरीय है अथवा राष्ट्र स्तरीय।
- उद्देश्य तथा अन्य क्रियाकलाप
- पंजीयन, उपस्थिति तथा अवधारणा के लिए किए गए प्रयत्न

5.3.5 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाएँ – एक केस अध्ययन

5.3.5.1 सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजनाएँ

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जातियों तथा जनजातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ चलाए जा रही हैं:

- दसवीं कक्षा तक वज़ीफा (छात्रवृत्ति)
- मुफ्त वर्दी तथा पुस्तकें
- बोर्डिंग हाउस
- राजकीय और गैर–राजकीय निजी एजेंसियों के लिए होस्टल
- एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज बोर्ड जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को माध्यमिक शिक्षापूर्ण करने के पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- उपस्थिति का भत्ता
- आश्रम विद्यालय
- बुक बैंक स्कीम

5.3.5.2 लड़कियों के लिए परियोजनाएँ

परिवार तथा समाज के लिए लड़कियों की शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राज्य ने इनकी शिक्षा के विभिन्न परियोजनाएँ आरंभ की:

- **उपस्थिति के लिए भत्ता:** कक्षा 1 से 5 तक ड्राप आउट दर को कम करने के लिए पिछड़े वर्गों की सभी लड़कियों को प्रतिदिन एक रुपया भत्ता दिया जाता है, यदि वे विद्यालय में 75 प्रतिशत कार्य दिवसों तक उपस्थित रहती हैं।
- **अहिलाबाई होल्कर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम:** 1997 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई ताकि लड़कियाँ शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह स्कीम उन्हीं प्रशिक्षण पर लागू हे जिनकी उपस्थिति वर्ष में 75 प्रतिशत कार्य दिवसों की होगी।
- **मातृ प्रबोधन परियोजना:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, माताओं को बच्चों की शिक्षा, उन के स्वास्थ्य और वैयक्तिक विकास के विषय में शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **आर्मी स्कूलः** महाराष्ट्र की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किया है जहाँ पर लड़कियों को कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है तथा यदि वे शारीरिक रूप से फिट है तो आगे प्रशिक्षण देने का अवसर भी दिया जाता है।

- **समूह–निवासी विद्यालयः** उन लड़कियों के लिए जो दूरस्थ स्थानों में आती है, जिसके कारण विद्यालय में नहीं पहुँच पाती। ऐसी लड़कियों के लिए समूह–निवासी विद्यालय का प्रबंध किया गया है।

5.3.5.3 आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परियोजनाएँ

समाज में किसी भी जाति अथवा धर्म के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। गरीबी के कारण ये बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर परिवार के लिए कमाने लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्कीमें निम्न प्रकार हैं:

- **छात्रवृत्तिः** 1978 में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र की 70 रुपये प्रतिमाह तथा छात्रा को 80 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे।

- **आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियाँ :** महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना 1956 में आरंभ की थी। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से संबंधित जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति राशि दी जाती थी यदि वे 75 प्रतिशत उपस्थिति दिखाते हैं और उनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से कम है।

- **पोषक आहारः** इस परियोजना का आरंभ 1995 से हुआ जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चा जो नियमित रूप से विद्यालय आएगा उसे अल्पावकाश में पोषक भोजन दिया जाएगा।

- **सावित्री बाई फूले अभिभावक स्कीमः** 1993 में यह योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य, कोई अधिकारी अथवा समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी ऐसी कन्या को अपना सकता था जो गरीबी के कारण विद्यालय में आने में अक्षम थी और उसे प्रति मास वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता था परंतु ऐसा वह विद्यालय के माध्यम से ही कर सकता था।

- **बुक बैंक स्कीमः** प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष के अंत में इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता है। जब बच्चा अगली कक्षा में चढ़ जाता तो उन पुस्तकों के बदले उस कक्षा की पुस्तकें मिल जाती।

5.3.5.4 सुदूर (दूरस्थ) क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजनाएँ

महाराष्ट्र सरकार ने 1970 में दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के निम्नलिखित योजनाएँ बनाईं:

- **पोषक आहार योजनाः** इसका उद्देश्य 6 वष्र तक के बच्चों को संतुलित आहार देना था जो आँगनवाड़ी तथा बालवाड़ी के माध्यम से दिया गया।

- **आश्रमशालाः** जनजातीय विकास निदेशालय ने इस योजना को कार्यान्वित किया। अति गरीब बच्चों को इन आश्रमों में आश्रय दिया जाता था जहाँ उन्हें निःशुल्क लिखना पढ़ना, आवास तथा वर्दी की सुविधा दी जाती थी। ये विद्यालय (आश्रम) पहली से दसवीं कक्षा तक के थे और इनका पर्यवेक्षण सरकार द्वारा किया जाता था। ये प्रकार के थेः (i) बेसिक आश्रम शाला (कक्षा पहली से चौथी तक), (ii) परा–बेसिक आश्रम शाला कक्षा पाँचवी से दसवीं तक।

- **विद्या निकेतनः** जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह एक नई योजना थी जिसे 1981 में एक या दो जिलों में खोला गया। इसमें भी शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। लड़कियों के लिए भी बाद में विद्या निकेतन खोले गए। इस प्रकार के प्रत्येक संस्थान में आदिवासी बच्चों के लिए 10 सीटों का प्रावधान था।

- **बाल शिक्षा परियोजनाः** यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने 1982 में यूनिसेफ की सहायता से आरंभ की। इस में बच्चों को सुंदर, रोचक तस्वीरों वाली पुस्तकें निःशुल्क दी जाती थी ताकि पुस्तकों के प्रतिबंधों की रूचि का विकास हो सके। तथा फलस्वरूप बच्चे शालाओं में जाना जारी रखें।

5.3.5.5 विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजनाएँ

बहुत सारे बच्चे गरीबी अथवा अन्य कई कारणों से विद्यालय नहीं आते और यदि आते भी हैं तो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कई परियोजनाएँ चलाई गई।

1) **सेतु विद्यालयः** इन विद्यालयों का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत करना था जो बीच में ही विद्यालय छोड़ गए और जो कुछ सीखा था उसे लगभग झूल गए। ऐसे बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का पुनः अवसर प्रदान करना था। ऐसे बच्चों को लगभग 45 दिन तक अलग से पढ़ाया जाता और फिर उन्हें नियमित विद्यालय में पंजीकरण के लिए भेज दिया जाता था।

2) **इंडस बाल श्रम परियोजनाः** बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं मजदूरी करते हैं और विद्यालय नहीं जाते। इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना उन बच्चों को साक्षर बनाना था। इसे महाराष्ट्र के 5 जिलों में कार्यान्वित किया गया ये जिले थेः गोंडिया, अमरावती, जालना, औरंगाबाद तथा मुम्बई। इसका दायित्व कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं या व्यक्तियों को दिया गया जो जगह–जगह ऐसे बच्चों की तलाश करते थे जो फैक्टरी, उद्योगों, होटलों आदि में बाल श्रम करते थे। इन्हें लाकर नियमित विद्यालयों में भर्ती कराया जाता था और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी।

3) **शक्करशालाः** ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो गन्ना काटने वालों की बस्ती के समीप खोले जाते हैं जो उन मजदूरों के बच्चों को साक्षरता प्रदान करते हैं। क्योंकि उनके

माता–पिता गन्ने काटने के मौसम में गन्ना मिलों के पास आकर डेरा डाल लेते हैं और वे कई महीने वहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए शक्करशालाएँ खोली जाती हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान न हो। इन्हें द्वितीय सिमेप्ट विद्यालय भी कहा जाता है। ये शालाएँ केवल उसी मौसम में कार्य करती हैं जब वे बच्चे अपने माता–पिता के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं तो उन विद्यालयों को भी बंद कर दिया जाता है।

4) **वास्तीशाला:** यह अधिकांशतः प्राथमिक विद्यालय हो हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में ग़ैर–औपचारिक शिक्षा देते हैं जहाँ एक कि.मी. की दूरी पर भी कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है। इन बच्चों को 1–4 कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम सिखाया जाता है एक वास्ती विद्यालय चलाने के लिए ग्राम पंचायत के पास कम से 15 बच्चों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। ग्राम शिक्षा समिति योग्य अध्यापकों का प्रबंध करती है। इन अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण निकटतम डाइट (DIET) प्रदान करती है।

5.3.5.6 विशेष लक्ष्य समूह के लिए परियोजनाएँ (विकलांग, देवदासी बच्चियाँ, इत्यादि)

विशेष लक्ष्य समूह में विभिन्न सामाजिक स्तरों, जातियों, धर्मों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चे तथा अपंग बच्चे सम्मिलित होते हैं। ये बच्चे किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई (प्राथमिक शिक्षा) पूरी नहीं कर पाए हैं। अतः इनको विशेष अवधान दिया जाता है:

- **देवदासियों के बच्चों के लिए परियोजना:** देवदासी परंपरा समाज की एक नकारात्मक सामाजिक परंपरा है। अन्धविश्वास के कारण बहुत सी देवदासियाँ सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। अतः वे अपने बच्चों को पढ़ा–लिखा नहीं सकती। इनके लिए बनी स्कीम में बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी जाती हैं पोषक आहार, उपस्थिति भत्ता, बुक बैंक योजना, स्नेहालय (बोर्डिंग स्कूल), स्त्री प्रबोधन कार्यक्रम तथा निःशुल्क पास योजना।
- **अपंग बच्चों की शिक्षा:** ऐसे बच्चों के लिए समेकित शिक्षा उपलब्ध होती है। इसमें मुफ्त शिक्षा प्रविधियाँ सम्मिलित होती हैं जिनके माध्यम से ग़ैर–औपचारिक शिक्षा, चलते–फिरते विद्यालय, उपचारी शिक्षा, पार्ट टाइम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि दी जाती है।
- **निर्योग्य बच्चों की शिक्षा:** महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए "विशेष विद्यालय" खोले हैं। 1985 में मुम्बई में मूक और बधिक विद्यालय की स्थापना की जब ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो इन्हें सामान्य विद्यालयों में भर्ती करा दिया जाता है। इस उपागम को समेकित शिक्षा उपागम कहते हैं।

क्रियाकलाप–3

आप अपने राज्य में चल रहे इस प्रकार की परियोजनाओं का अवलोकन करें तथा इनकी तुलना महाराष्ट्र में चलाई जा रही योजनाओं से करें। इनकी समानता तथा अंतरों पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

.....

.....

.....

5.4 डी.पी.ई.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना)

डी.पी.ई.पी. विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसे 1995 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण है। इसके लिए सभी स्तरों पर जिला–विशिष्ट योजना, विकेन्द्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रविधियाँ, सशक्तिकरण तथा क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनःशक्ति प्रदान करना तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना इस कार्यक्रम की मुख्य पहल हैं।

यह परियोजना केन्द्रीय सरकार की योजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता से पाँच राज्यों में चलाया गया; बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों तक कर दिया गया। इसके अंतर्गत परियोजना आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य को पाँच जिले चुनने होते हैं। वे जिले ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक पिछड़े हो और जहाँ स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हो और जहाँ टी एल सी (समग्र साक्षरता अभियान) सफल रहा हो और जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की माँग बढ़ी हो।

5.4.1 डी.पी.ई.पी. के उद्देश्य

इस परियोजना के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- औपचारिक अथवा ग़ैर–औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की 100 प्रतिशत अभिगम्यता
- 100 प्रतिशत पंजीयन तथा अवधारण
- अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति
- विद्यालयों में प्रगतिरोध और ड्रापआउट पर नियंत्रण पाना
- अध्यापकों और समाज का क्षमता निर्माण – अधिकतम विकेन्द्रीकरण तथा समुदाय भागीदारी
- समाज के प्रत्येक घटक से पंजीयन में वृद्धि करना

5.4.2 डी.पी.ई.पी. के मुख्य घटक

इस परियोजना के मुख्य चार घटक हैं:

- **सिविल कार्यः** नए विद्यालयों का निर्माण जिसमें कम से कम 2 कक्षाकक्ष तथा एक बरामदा हो। नए कमरे जोड़ना जहाँ पहले से I से V तक कक्षाएँ चल रही हों। शौचालय, विद्यालय की मरम्मत, अध्यापकों के लिए आवास तथा महिला होस्टलों का निर्माण कराना।
- **कार्यक्रमः** बहुत सारे वैकल्पिक उपागम जिससे बच्चों को सुविधा मिल सके। डी.पी.ई.पी. के कुछ विशेष क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं।
- **प्रबंधनः** जिला स्तर पर प्रबंधन संरचना, प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना तथा वित्त का शीघ्र प्रबंध करना इन संरचनाओं पर राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विचार किया जाता है।
- **विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म स्तर योजना बनानाः** इसका उद्देश्य पंजीयन में आने वाली बाधाओं को मालूम करना तथा समुदाय की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सूक्ष्म योजना के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के कार्य को स्थूल रूप देकर उत्तरदायित्व निर्धारित करना है।

5.4.3 डी.पी.ई.पी. की कार्यान्वयन

विकेन्द्रीकृत आयोजन प्रयास का श्रीगणेश राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्यीय तथा जिला स्तर पर संवृत्तिक सहायता प्रदान करके किया गया। डी.पी.ई.पी. की ओर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण की संकल्पना को मूर्त रूप देने की यह एक गंभीर प्रयास था:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत शैक्षिक आयोजन को आरंभ करने के लिए जिला को एक इकाई माना गया।
- इसके अंतर्गत संसाधन संबंधी निर्णय लेने के प्ररूप को राज्य स्तर से स्थानीय स्तरों पर लाने का प्रयास किया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजन प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया गया ताकि यह अधिक परामर्शी, प्रतिभागितापूर्ण तथा पारदर्शी हो सकें।
- इसके अंतर्गत नई संगठनात्मक व्यवस्थाओं जैसे बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. के माध्यम से शैक्षिक क्रियाकलाप को सांवृत्तिक संसाधन सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपये वार्षिक तथा प्रत्येक अध्यापक को 500 रुपये वार्षिक जैसी अनुदान दिया जाता था।
- आयोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिला और उप–जिला स्तरों पर स्थानीय क्षमता का विकास करने का प्रयास किया गया।

5.4.4 कार्यनीतियाँ तथा क्रियाकलाप

- **अभिगम्यता:** जनजातीय सुदूर क्षेत्रों में नए अवर प्रारंभिक विद्यालय खोलना, ऐसे इलाकों में बहुकक्षीय (श्रेणी) अधिगम केंद्र तथा वैकल्पिक विद्यालय खोलना जिससे प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता बढ़ सके।
- **जनजातीय तथा तटवर्ती वासियों के लिए शिक्षा:** पंजायत तथा स्वयंसेवी संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा पंजीयन अभियान, प्रबोधन कार्यक्रम तथा जनजातीय तथा तटवर्ती विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देना
- **गुणवत्ता सुधार:** क्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र के द्वारा आवर्ती अध्यापक प्रशिक्षण।
- **समुदाय संघटन (Community Mobilization):** ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण तथा पंचायत मानीटरिंग कक्ष (PMC), उनको प्रशिक्षण तथा अभिभावकों का अभिमुखीकरण
- **शोध तथा मूल्यांकन:** क्रियात्मक शोध, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा जिला स्तर पर अध्ययन करना।
- **योजना तथा प्रबंधन:** विद्यालय आधारित योजना के लिए योजना बनाना, वार्षिक योजना तैयार करना जिसके लिए ब्लॉक एडवाइज़री समिति जिला एडवाइज़री समिति तथा जिला कार्यान्वयन समिति की बैठकें बुलाई जाए।
- **विकलांग बच्चों की पहचान तथा उनकी शिक्षा (IEDC) का प्रबंध:** इसके लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरणों और अन्य सहायक सामग्री प्रदान करना, अभिभावकों का अभिमुखीकरण इत्यादि।
- **लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता:** नि:शुल्क पुस्तकें प्रबोधन कार्यक्रम तथा अध्यापक सुग्राहीकरण कार्यक्रम आदि।
- **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS):** सभी डी.पी.ई.पी. के जिला केन्द्रों में कम्प्यूटर तथा डायल अप की आपूर्ति करना तथा इसके कम्प्यूटर प्रोग्रामरों की नियुक्ति इत्यादि सम्मिलित है।
- ग्राम शिक्षा पंजिका तथा अवधारण पंजिका आरंभ करना।

5.4.5 डी.पी.ई.पी. का यू.ई.ई. पर प्रभाव

इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं:

व्याप्ति (विस्तार)		विद्यालय	
जिले जहाँ प्रतिशत लागू किया गया	219	योजना के अंतर्गत विद्यालय	3,75,000
फेज I (1994–सितम्बर 2001)	42	नए विद्यालय	10,000
फेज II (1996–2002)	80	पंजीयन	
फेज III (1998–2003)	27	सकल पंजीयन अनुपात	102 %
राज्य जहाँ कार्यक्रम लागू हुआ	18	शुद्ध पंजीयन अनुपात	90 %
योजना के अंतर्गत कुल विद्यार्थी	513 लाख		
कुल अध्यापक	11 लाख		
ई सी ई			
ई सी ई सेंटर	56124		
कुल बच्चे	21 लाख		
वैकल्पिक विद्यालय			
कुल केन्द्र	51,124		
कुल बच्चे	21 लाख		

सारणी 5.3

स्रोतः डी.पी.ई.पी. फैक्ट शीट, खंड VI, संख्या 11

नोटः GER तथा NER की गणना करने संबंधी फार्मूले इकाई के अंत में दिए गए हैं।

5.5 सारांश

भारत का शिक्षा तंत्र अत्यधिक विशाल है। इसमें कुल 300 मिलियन विद्यार्थी और 6.5 मिलियन अध्यापक हैं। पंजीयन लगभग 100 प्रतिशत है, 120 मिलियन बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। साक्षरता दर 2001 की तुलना में 65 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई। शिक्षा को एक अच्छे जीवन का द्वार समझा जाने लगा है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यनीतियाँ सुझा गई हैं। ये परियोजनाएँ हैं: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, बिहार बेसिक शिक्षा परियोजना, लोकजम्बिश – लड़कियों की शिक्षा के लिए तथा अध्यापक अनुपस्थिति को ठीक करने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना।

1990 के दशक के मध्य उन जिलों में जहाँ महिला साक्षरता दर बहुत नीचे थी, डी.पी.ई. पी. परियोजना आरंभ की गई। इस परियोजना ने कई नहीं पहलों का मार्ग प्रशस्त किया। जिससे "विद्यालय से बाहर" बच्चों को शिक्षित या साक्षर किया जा सके। इसकी विशेषता

यह थी कि इसकी योजना विकेन्द्रीकृत थी तथा समुदाय की सांझेदारी का सहारा लिया गया। लोक प्रतिभागित्व की यह भावना गाँव के स्तर तक फैल चुकी है जिससे विभिन्न क्रियाकलाप का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हो गया है। ग्राम शिक्षा समितियों ने अलग–अलग जिलों में लगभग 100 प्रतिशत गाँव को सम्मिलित कर लिया है। इन सकारात्मक परिवर्तनों के साथ भारत शीघ्र ही प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर सकता है।

5.6 शब्दावली / संकेताक्षर

शिक्षा के सार्विकीकरण का अर्थ	:	बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं के तथा स्थान के अनुरूप सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
सार्विकीकरण के तीन पक्ष	:	सार्वत्रिक अभिगम्यता, तथा पंजीयन, उपस्थिति तथा अवधारण, शिक्षा की गुणवत्ता
जी.ई.आर. (GER)	:	सकल पंजीयन अनुपात
एन.ई.आर. (NER)	:	शुद्ध पंजीयन अनुपात
डी.पी.ई.पी. (DPEP)	:	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
यू.पी.–बी.ई.पी. (UP-BEP)	:	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
यू.ई.ई. (UEE)	:	प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण
बी.ई.पी. (BEP)	:	बिहार शिक्षा परियोजना

फार्मूले (सूत्र)

$$\text{सकल पंजीयन अनुपात परिकलन} = \frac{\text{प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या}}{\text{प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या}}$$

$$\text{शुद्ध पंजीयन अनुपात परिकलन} = \frac{\text{प्राथमिक विद्यालयी आयु वर्ग के विद्यालय में पंजीकृत कुल विद्यार्थी}}{\text{प्राथमिक विद्यालयी आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या}}$$

5.7 संदर्भ ग्रंथ / कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. *Lok Jumbish*: the sixth report Reviewshttp://booksVolume 1/1970-Volume 41/2011

5.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

क) ..... पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। (दसवीं/ग्यारहवीं)

ख) ..... का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा का लोक अभियान। (लोकजम्बिश/ महिला समख्या)

ग) डी.पी.ई.पी. के कारण अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट लगभग 50 प्रतिशत ..... राज्य में हुई। (मध्य प्रदेश/आसाम)

घ) राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में ..... की वित्तीय सहायता से शिक्षाकर्मी परियोजना कार्यान्वित की गई। (एस.आई.डी.ए./विश्व बैंक)

ङ) समाज के सुविधा वंचित वर्गों की शिक्षा पर ..... का विशेष बल रहा है। (यू.पी.–बी.ई.पी./बी.ई.पी.)

2) निम्नलिखित अवस्थाओं को कार्यान्ति करने वाली उपयुक्त स्कीम का नाम लिखें:

क)	डी.पी.ई.पी. के सभी जिलों/राज्य परियोजना कार्यालय को कम्पयूटरों तथा डायल अग नेटवर्किंग प्रदान करना।	
ख)	बालश्रम परंपरा का उन्मूलन और उन्हें मुख्यधारा में लाना	
ग)	शिक्षाकर्मी कब प्राथमिक विद्यालयों को चलाते हैं।	

3) स्तंभ (कालमों) का मिलान कीजिए।

समूह क	समूह ख
i) बिहार शिक्षा परियोजना	क) लड़कियों की शिक्षा
ii) लोक जम्बिश	ख) अध्यापक अनुपस्थिति
iii) शिक्षा कर्मी	ग) प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना

4) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

i) शिक्षा के सार्विकीकरण का अर्थ है बच्चों की विशेष आवश्यकताओं तथा स्थान के अनुरूप सभी स्थानों पर शिक्षा की ..... सुनिश्चित करना।

ii) भारत सरकार प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के संदर्भ में ..... किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की अभिगम्यता सुनिश्चित करती है।

iii) भारत में डी.पी.ई.पी. ..... में आरंभ हुई।

iv) महाराष्ट्र में लड़कियों की संख्या को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में ..... के स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किया।

5) एक वाक्य में उत्तर दें:

i) किन विद्यालयों का दूसरा नाम द्वितीय सिमेस्टर विद्यालय है?

ii) बाल श्रम परियोजना को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भी क्यों कहा जाता है?

iii) प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की परिभाषा दें।

iv) शिक्षाकर्मी किसे कहते हैं।

6) संक्षेप में उत्तर दें:

i) यू.ई.ई. क्या होता है? इसके विभिन्न पक्षों को सूचीबद्ध करें।

ii) विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म योजना लोक जम्बिश के प्रधान कार्यातमक लक्षणों का निरूपण करते हैं, व्याख्या करें।

iii) सकल पंजीयन अनुपात (जी.ई.आर) का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित व्याख्या करें।

iv) आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को राज्य सरकारों द्वारा कौन–सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं?

v) बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने किन–किन कार्यनीतियों तथा कार्यकलाप की योजना बनाई?

vi) लड़कियों को प्रारंभिक के उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के नाम लिखें।

vii) राजस्थान के शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षाकर्मी की भूमिका क्या होती है?

viii) ड्रापआउट बच्चों के लिए उपलब्ध स्कीमों का विवरण दें।

ix) डी.पी.ई.पी. के उद्देश्य, मुख्य घटक तथा विभिन्न कार्यनीतियाँ कौन–कौन सी हैं?

इकाई 6 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ-II

संरचना

6.0 प्रस्तावना

6.1 अधिगम उद्देश्य

6.2 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तथा इसके मुख्य लक्षण

6.2.1 सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएँ या लक्षण

6.3 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य

6.4 सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य व्यूह रचनाएँ

6.5 सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मानदंड

6.6 सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयी तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास

6.7 मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान

6.8 सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य त्रुटियाँ और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय

6.8.1 उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय

6.9 सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का सुमेलीकरण

6.10 सारांश

6.11 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.12 अन्त्य इकाई अभ्यास

6.0 प्रस्तावना

इकाई 5 में आपने देश के विभिन्न राज्यों में लागू प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन किया। आपने जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी.पी.ई.पी.) का प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण पर प्रभाव का अध्ययन भी किया। इस इकाई में सर्व शिक्षा अभियान के अनिवार्य लक्षणों तथा प्रबंधन और पर्यवेक्षण का अध्ययन करेंगे जोकि प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए देश में एक मुख्य अभियान है। सर्व

शिक्षा अभियान का अभिकल्प या परिरूप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया गया है। यद्यपि देश में प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार में पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पर चर्चा करते समय हम इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

6.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि:

- सर्व शिक्षा अभियान की पृष्ठभूमि तथा इसके अनिवार्य पक्षों का विवरण दे सकेंगे;
- सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रमुख व्यूहरचनाओं की पहचान कर सकेंगे तथा इनकी व्याख्या कर सकेंगे;
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के मुख्य वित्तीय मानदंडों को बता सकेंगे;
- इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था के महत्व को लिख सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के महत्व और सर्व शिक्षा अभियान के साथ संबंध का वर्णन कर सकेंगे; और
- निरक्षरता के उन्मूलन में सर्व शिक्षा अभियान के योगदान की विवेचना कर सकेंगे।

6.2 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तथा इसके मुख्य लक्षण

जैसा आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पंजीयन, अवधारण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य लिंग संबंधी अंतरों को तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच के अंतराल को कम करना है। 1998 में हुई राज्यों के शिक्षामंत्रियों की कांफ्रेंस की सिफारिशों के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ। यद्यपि संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार, जिसका अधिनियमन 2002 में हुआ प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई परंतु एक अधिनियम के रूप में यह अगस्त 2009 में भारतीय संसद में पारित हुआ।

6.2.1 सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएँ या लक्षण

सर्व शिक्षा अभियान की निम्नलिखित अनिवार्य विशेषताएँ हैं जो इस कार्यक्रम को प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के उद्देश्यों के रूप में परिणत करती है:

- इस कार्यक्रम की एक निश्चित समयावधि है जिसके भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है।
- यह कार्यक्रम देश भर में गुणवत्तायुक्त बेसिक शिक्षा की अपेक्षाओं का प्रति उत्तर है।
- बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करने का अवसर है।
- बच्चों की शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक–अध्यापक संघों तथा स्थानीय जनता को सम्मिलित करने का एक प्रयास है।
- देश भर में सार्विक प्रारंभिक शिक्षा के प्रति यह एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है।
- यह प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्वायत्त समितियों तथा अन्य तृणमूल या आधारिक संरचनाओं (व्यवस्थाओं) को सम्मिलित करता है।
- इसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय शासन की भागीदारी का स्वागत है।
- राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना स्वयं का दर्शन विकसित करने का यह कार्यक्रम एक अवसर है।
- व्यूह रचनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी व निजी भागीदारी करने का अवसर भी है।
- इन सबके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बच्चों में मानव योग्यताओं में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है जो एक मिशन के रूप में समुदाय द्वारा स्वीकृत गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रावधान के द्वारा होता है।

6.3 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य

लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है सन् 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी तथा संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इस कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य है विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय के सक्रिय सहयोग की सहायता से सामाजिक, क्षेत्रीय, तथा लिंग संबंधी अंतरों को पार करना।

उपयोगी और संगत शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तलाश करना जो समुदाय

से विमुख नहीं करती अपितु समुदाय के भाई–चारे या इसकी एकता पर पनपती है। ऐसी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण के विषय में सीखने के अवसर देना और उस वातावरण को इस प्रकार वश में करना जिससे उनकी मानव क्षमताओं का आध्यात्मिक तथा भौतिक रूप से पूर्ण विकास हो सके। यह तलाश एक ऐसे मूल्याश्रित अधिगम की प्रक्रिया है जो बच्चों को एक–दूसरे के हित में काम करने का अवसर देती है न कि उन्हें अधिक स्वार्थपरकता की ओर खींचे।

उद्देश्य

जैसा कि उपर्युक्त खंड 6.3.1 में स्पष्ट किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए चलाया गया एक अनुपम अभियान है इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में आएँ। जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, उन्हें विशेष विद्यालयों की योजनाओं, जैसे शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। "बैक टू स्कूल" (वापस विद्यालय की ओर) अभियान 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था जिसे बाद में 2005 तक बढ़ा दिया गया।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर फोक्स जिसमें "जीवन के लिए शिक्षा" पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार की गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को जीवन कौशल सिखाए जाए।
- वर्ष 2010 तक सार्वत्रिक अवधारण **(Universal retention)**

इसके अतिरिक्त प्रारंभिक गुणवत्ता शिक्षा में लिंगभेद तथा सामाजिक अंतरों को पाटने तथा सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति से पूर्व विद्यालय न छोड़ने देने पर बल दिया गया है।

6.4 सर्व शिक्षा अभियान मुख्य व्यूह रचनाएँ

- **संस्थागत सुधारः** सर्व शिक्षा अभियान के एक अंश के रूप में वितरण (संचालन) प्रणाली की कार्यकुशलता उन्नत लाने की दृष्टि से केन्द्र तथा राज्य सरकारें आवश्यक सुधार लाएँगी। राज्यों को शैक्षिक प्रबंधन, विद्यालयों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामलों, विकेन्द्रीकरण, अध्यापकों की भरती, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, समुदाय स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम, लड़कियों की अनुसूचित जाति/जनजाति

तथा वंचित समूहों की शिक्षा तथा पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा समेत अपनी शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुगत मूल्यांकन करना होगा। कई राज्यों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की संचालन प्रक्रिया में पहले से ही काफी परिवर्तन ला दिए हैं।

- **अविच्छिन्न निधीयन** (Sustainable financing): सर्व शिक्षा अभियान इस तर्क पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा का निधियन अविच्छिन्न या सतत रहना चाहिए। इसके लिए यह अनिवार्य है कि केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय भागीदारी में एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य हो।
- **समुदाय स्वामित्वः** सर्व शिक्षा अभियान के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी विकेन्द्रीकरण के द्वारा विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का स्वामित्व समुदाय के हाथ में हो। इसमें तेजी लाने के लिए महिलाओं, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए।
- **सांस्थानिक क्षमता निर्माणः** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एन.यू.ई.पी.ए., एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई.एम.ए.टी./डाइट जैसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण में भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
- **गुणवत्ता में सुधार के लिए** यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों तथा संस्थाओं की एक अखंड सहायक प्रणाली विद्यमान हो।
- **मुख्यधारा शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लानाः** इसके लिए आवश्यक है कि संस्थागत विकास हो, नए उपागम (प्रविधियाँ) लाए जाएँ जो भी विधियाँ प्रयोग में लाई जाएँ वे लागत प्रभावी तथा कुशल हो।
- **पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मानीटरिंगः** सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में समुदाय आधारित मानीटरिंग प्रणाली का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (EMIS), सूक्ष्म आयोजन तथा सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय आधारित सूचनाओं और विद्यालय स्तरीय आँकड़ों में समन्वय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय से यह अपेक्षा होगी कि वह प्राप्त अनुदानों समेत सभी प्रकार की सूचनाओं को अन्य विद्यालयों के साथ बाँटेंगे।
- **बस्ती आयोजनः इकाई के रूप में:** बस्ती आधारित योजनाएँ जिला योजनाओं का आधार बनेंगी।
- **समुदाय के प्रति उत्तरदायित्वः** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग की कल्पना की जाती है तथा ये सभी समुदाय के प्रति उत्तरदायी तथा पारदर्शी होंगे।
- **लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकताः** सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा

और विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

- **विशेष समूहों पर बलः** शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समूहों, शहरी वंचित बच्चों, अन्य वंचित समूहों, तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सम्मिलित करने तथा भागीदार बनाने पर बल दिया जाएगा।

- **गुणवत्ता पर दबावः** सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक स्तर के बच्चों की शिक्षा को लाभकारी तथा संगत बनाने के लिए विशेष बल दिया है। इसके लिए पाठ्यचर्या में सुधार ला कर, बाल केन्द्रित क्रियाओं द्वारा तथा प्रभावी अध्यापन–अधिगम व्यूहरचनाएँ अपनाई जाती हैं।

- **अध्यापकों की भूमिकाः** सर्व शिक्षा अभियान का यह विश्वास है कि अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और केन्द्रीय होती है। अतः उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। इसके लिए खंड संसाधन केन्द्र, संकुल (कलस्टर) संसाधन केन्द्र, योग्य अध्यापकों की भरती, पाठ्यचर्या संबंधित पदार्थ सामग्री के विकास में सम्मिलित करके और अध्यापकों के लिए अभिदर्शन (exposure) भ्रमणों का प्रबंध किया जाता है ताकि अध्यापकों का मानव संसाधन के रूप में विकास हो सके।

- **जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाः** सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे के अनुसार प्रत्येक जिला अपनी एक जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें सभी प्रकार के किए गए निवेश जिनकी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है, प्रतिबिम्बित किए जाएँगे।

- **सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी व निजी भागेदारीः** सर्व शिक्षा अभियान इस बात को मानता है कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान मुख्यतः सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में होता है। परंतु देश के विभिन्न भागों में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो निजी होते हुए भी प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व लिए हुए हैं। गरीब परिवार देश के विभिन्न भागों में निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को अदा नहीं कर सकते। परंतु कुछ ऐसे निजी विद्यालय भी हैं जिनका शुल्क सामान्य होता है और जहाँ गरीब बच्चों को भी शिक्षा देने का प्रावधान है। इनमें कुछ विद्यालयों में सुविधाओं की कमी देखी गई है और अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता। सरकार इसके लिए सामाजिक न्याय (निष्पक्षता) तथा अभिगम्यता को बढ़ावा देते हुए उन्हें सहायता दे रही है। सरकारी–निजी भागीदारी कई और पक्षों में भी देखी जा सकती है जैसे मध्याह्न भोजन। दूसरी ओर यदि निजी क्षेत्र अपने प्रयासों द्वारा सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना चाहता है तो इसमें भी सरकारी–निजी भागीदारी अनिवार्य है।

6.5 सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मानदंड

- इस अभियान के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों से प्राप्त वित्तीय सहायता का अनुपात नौवीं पंचवर्षीय योजना में 85: 15 का होगा, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 75: 25 का होगा, तथा उसके पश्चात यह अनुपात 50:50 का होगा।
- भारत सरकार राज्य सरकारों को तथा केन्द्रशासित राज्यों को अगली किश्त इस शर्त पर देगी जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पिछली अनुदान किश्त राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी के खाते में अंतरित कर दी गई है।
- प्रारंभिक शिक्षा पहले से चल रही स्कीमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात एकत्रित हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के पोषणात्मक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन), एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा जिसमें अनाजों तथा परिवहन खर्च केन्द्र सरकार देगी तथा पकाए गए भोजन में आई लागत राज्य सरकारें वहन करेंगी।
- जो पैसा (निधि) जिसका प्रयोग सुधार के लिए रखरखाव के लिए, विद्यालय या अध्यापन–अधिगम उपकरणों की मरम्मत के लिए तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए किया जाना है उस ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायतों इत्यादि को अंतरित कर दिया जाएगा।

6.6 सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयी तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास

जैसा आपको विदित होगा कि प्रारंभिक शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व तथा अधिकारक्षेत्र है। परंतु प्रारंभिक शिक्षा का निधीयन केन्द्र सरकार भी करती है जिसके फलस्वरूप अब राज्य आधारभूत सुविधाओं के लिए, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, तथा अध्यापक प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि सर्व शिक्षा अभियान भौतिक तथा मानव संसाधन लक्ष्यों को, विशेषकर कक्षाकक्षों, पाठ्यपुस्तकों के बंटन, अध्यापक नियुक्ति तथा अध्यापक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्राप्त नहीं कर पाया है।

वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा (AIE): सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित और सुविधावंचित समूह के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ विकसित की गई है।

लोक सेवा कार्य (Civil works) :सर्व शिक्षा अभियान में लोक सेवा कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत परियोजना का 33 प्रतिशत तक का एक बहुत भारी निवेश किया जा सकता है। विद्यालय की ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करने से बच्चों की अभिगम्यता,

तथा अवधारण बढ़ाने में सहायता मिलती है और ये दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें शैक्षिक सहायता भी मिलती है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती है।

नवाचारी क्रियाकलापः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे नवाचारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने, उन्हे वहाँ अध्ययन करते रहने में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं: पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ECCE), लड़कियों की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा कंप्यूटर शिक्षा आदि। ये सभी क्रियाकलाप प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जिससे बच्चे अपनी शिक्षा में रूचि लेना आरंभ कर देते हैं।

शोध तथा मूल्यांकनः इस घटक के अंतर्गत शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग आते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है:

- क्षेत्र–आधारित मॉनीटरिंग के लिए विशेषज्ञों का एक संघ बनाया जाता है
- नियमित रूप से समुदाय आधारित आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
- उपलब्धि परीक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।
- शोध क्रियाकलाप किए जाते हैं।
- ऐसे जिलों में जहाँ महिला साक्षरता दर बहुत कम हो, एक विशेष कार्य बल स्थापित किया जाता है।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा की विशेष रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।
- शिक्षा प्रबंधन सूचनातंत्र पर यथेष्ट खर्च किया जाता है
- दृश्य मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए आकस्मिक खर्च जैसे चार्ट, पोस्टर, स्कैच पैन, ओ.एच.पी. आदि पर खर्च किया जाता है।

विद्यालय अनुदानः इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपये अनुदान के रूप में दिया गया जिसमें से 1000 रुपये विद्यालय पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तथा शेष 1000 रुपये खराब हो चुके उपकरणों को ठीक करने के लिए थे। इसके अतिरिक्त इस शेष राशि का उपयोग विद्यालय के सौंदर्यकरण, फर्नीचर की मरम्मत तथा इसका रखरखाव, वाद्य यंत्र की खरीद या मरम्मत तथा विद्यालय परिवेश के विकास के लिए किया जा सकता था।

अध्यापक अनुदानः कक्षागत कार्य संपादन में सुधार लाने के लिए तथा अध्यापन सहायक सामग्री के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी।

अध्यापन प्रशिक्षण : जैसा आप जानते हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, अतः इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों को समय–समय पर प्रशिक्षण देना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा गुणवत्तायुक्त अध्यापकों पर निर्भर करती है।

इस प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यनीतियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं।

- अध्यापकों को प्रशिक्षित करना तथा पुनः प्रशिक्षित करना
- इस प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापकों को नई पाठ्यचर्या तथा इन पाठ्यपुस्तकों से परिचित कराना?
- अध्यापकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.) से परिचित कराना
- परीक्षाओं में सुधार कैसे लाया जा सकता है, उसके उपाय सोचना
- श्रेणी (ग्रेडिंग) प्रणाली तथा मूल्यांकन, तथा ग्रेडिंग का प्रभाव
- शैक्षिक तथा ग़ैर–शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार
- अध्यापकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना
- गुणवत्ता शिक्षा उपायों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना

अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य डाइटों (DIETs) पर छोड़ा गया जो अध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करती है और इनके अनुकूल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती थी। इस प्रकार से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया।

प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक प्रविधियों, बाल मनोविज्ञान, करके सीखना, मूल्यांकन प्रविधि तथा माता–पिता को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है।

दूर शिक्षाः दूर शिक्षा कार्यक्रम (DEP) सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय घटक है जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा समर्थित है। दूर शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व इग्नू को सौंपा गया है जिसे सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश सहयोग दे रहे हैं। अध्यापकों के तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अन्य कार्मिकों के सशक्तिकरण में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके माध्यम से कक्षा अध्यापन को मल्टीमीडिया पैकेज जैसे स्व–अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम, रेडियो ब्रॉड कास्ट, टेलीकांफ्रेसिंग आदि से संपूरित किया जाता है। इस बात से आप सहमत होंगे कि विद्यालयों के दूर शिक्षा रूप केवल एक बहुत विशाल लोक समूह को संबोधित करने में ही सक्षम नहीं है अपितु इससे सभी को एक जैसा प्रशिक्षण मिल पाता है।

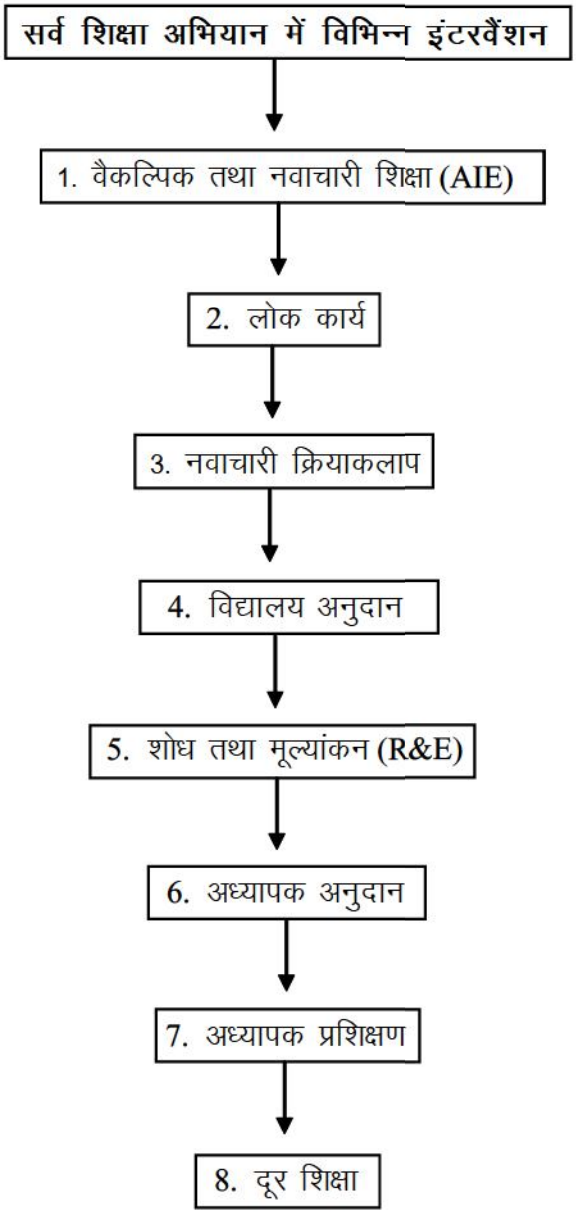

6.7 मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान

आप इस बात से भली भाँति अवगत होंगे कि मध्याह्न भोजन **(mid-day meal - MDM)** व्यवस्था भारत में एक पर्याप्त रूप से लोकप्रिय स्कीम है जिसका आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। इस योजना के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विद्यालय में भूखे न रहें, विद्यार्थियों

के पंजीकरण में वृद्धि है तथा अधिक से अधिक बच्चे कक्षा में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त इस योजना के फलस्वरूप सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर एक ही प्रकार का भोजन खाएँगे जिससे उनके समाजीकरण में वृद्धि होगी, तथा कुपोषण से निपटने में सहायता मिलेगी। इस योजना का एक परोक्ष लाभ यह होगा कि भोजन पकाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय मिलेगा जिससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा।

प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार विद्यालयों को निःशुल्क अनाज देगी तथा भोजन बनाने में प्रयुक्त अन्य पदार्थों/अवयवों का मूल्य राज्य सरकार वहन करेंगी। क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें इस कार्य के लिए सहमत थी अतः भारत सरकार से प्राप्त अनाज बच्चों के माता–पिताओं तक सरकार द्वारा पहुँचाया जाने लगा। इस प्रणाली को सूखे राशन का प्रावधान कहा गया। परंतु नवंबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को दिशा–निर्देश दिए जिसके अंतर्गत सरकारों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे बच्चों को पका हुआ भोजन ही देंगी। इस आदेश को जून 2002 से लागू किया जाना था परंतु अधिकांश राज्यों ने इसकी अवहेलना की। तत्पश्चात् न्यायालय के लगातार दबाव के कारण और विशेषतः भोजन का अधिकार अधिगम के कारण राज्यों ने पका हुआ भोजन देना आरंभ किया। मई 2004 में केन्द्र सरकार ने यह वादा किया कि पके हुए भोजन का कुल खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी जिसके लिए केन्द्र ने राज्य सरकारों को और अधिक वित्तीय सहायता देनी आरंभ की।

6.8 सर्व शिक्षा अभियान में विद्यमान मुख्य त्रुटियाँ और सर्व शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय

निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि वर्तमान स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जो प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य घटक के रूप में अभिकल्पित किया गया था, इसमें किस–किस प्रकार की त्रुटियाँ हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या–क्या उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

सारणी 6.1: विद्यमान त्रुटियाँ तथा सर्व शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित उपाय

क्र.सं.	त्रुटियाँ	उपचारात्मक उपाय
1	तृणमूल स्तर (आधारिक स्तर) पर लोगों की भागीदारी नगण्य है।	प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए आधारिक स्तर पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य है ताकि कार्यक्रम सफल हो सके।
2.	ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन तथा विकास समितियों की अनुपस्थिति	अधिकांश राज्यों में ग्राम या विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियाँ/विद्यालय प्रबंधन तथा विकास समितियाँ/शहरी स्लम स्तरीय शिक्षा समितियाँ/ अभिभावक–अध्यापक संघ इत्यादि स्थापित कर दिए गए हैं। उनकी भूमिकाएँ तथा कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने हैं।
3.	प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा समुदाय भागीदारी के प्रभाव का मूल्यांकन करना बाकी है।	समुदाय भागीदारी तथा संबंधित क्रियाकलाप की योजना और कार्यान्वयन पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति रिपोर्ट की जाँच की जानी चाहिए। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए संरचित शिड्यूल का एक सैट बनाया जाना चाहिए।
4.	लड़कियों की अल्पसंख्यक तथा पिछड़े समुदायों की शिक्षा में नवाचारी विधि नीति का अभाव है।	लड़कियों की शिक्षा, पूर्व बाल्य काल देखभाल तथा शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा तथा विशेषतः उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
5.	योजना निर्माण प्रक्रिया की प्रकृति सहभागिता पूर्ण नहीं है	योजना निर्माण प्रक्रिया को सहभागितापूर्ण बनाया जाए, तथा कार्मिकों के क्षमता–निर्माण में सहायता दी जानी चाहिए। योजना निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय विशिष्टता तथा लोगों की शैक्षिक आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ प्रतिबिंबित होनी चाहिए। और ये सब कार्य समुदाय और लक्ष्य समूह के साथ परामर्शी बैठकों तथा अंतःक्रिया पर आधारित होना चाहिए।
6.	आयु अनुसार तथा लिंग अनुसार बाल जनसंख्या पर अद्यतित **(updated)** सूचना का अभाव	पंजीयन तथा विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की अद्यतित सूचना" जो आयु तथा लिंग अनुसार हो, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक ग्रामीण/शहरी दृष्टि से हो।
7.	शैक्षिक प्रयोजनों से कम्प्यूटरों उपयोगिता के बारे में सूचना का अभाव	कम्प्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम **(CAL)** जिसमें सरकारी यू.पी.एस. की संख्या, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम के अंतर्गत यू.पी.एस. की संख्या, लाभभोगियों की संख्या, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या, तथा वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले यू.पी.एस. की संख्या पर पूर्ण सूचना दी जानी चाहिए।

6.8.1 उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय

सर्व शिक्षा अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हमें उन उपायों का अध्ययन करना चाहिए जिनसे विद्यार्थियों की विद्यालयों में उपस्थिति में सुधार लाया जा सके।

नीचे दी गई सारणी 6.2 में पहले कॉलम में उन संभावित कारणों के बारे में बताया गया है जो विद्यार्थियों के विद्यालय में आने में बाधक है, अर्थात् जिनके कारण बच्चे विद्यालय में आने में अक्षम हैं, या जिनके कारण बच्चे विद्यालय से बाहर रहते हैं। दूसरे कॉलम में संभावित कार्यनीतियाँ या उपाय सुझाए गए हैं।

सारणी 6.2: उपस्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय

बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारण	कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुझाव
बच्चे को घर की आय बढ़ाने में कार्य करना पड़ता है।	• माता–पिता को यह बोध कराना चाहिए कि बच्चे को विद्यालय में जाना बच्चे और माता–पिता दोनों के लिए लाभप्रद है। • सरकारी अधिकारिकी को सूचित करना कि वे निर्धारित कानून को लागू करें ताकि माता–पिता बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए विवश हो जाएँ।
निर्धनता/आर्थिक कारण	शैक्षिक ऋणों में वृद्धि की जाए
घरेलू कार्य में सहायता देनी पड़ती है	माता–पिता में जागरूकता (awareness) उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
छोटे बहन–भाइयों की देखभाल करनी पड़ती है।	माता–पिता में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
माता–पिता शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ हैं।	माता–पिता में इस संदर्भ में जानकारी देने की आवश्यकता है।
विद्यालय स्थिति सुविधाजनक नहीं है।	बच्चों के आवास के निकट विद्यालय खोलने चाहिए और परिवहन सुविधाएँ देनी चाहिए।
बच्चा किसी निर्योग्यता से पीड़ित है अथवा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।	अध्यापकों को उपयुक्त शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें विशेषतः मानव व्यवहार संबंधी कौशलों की अनुभूति कराई जाए।
बच्चे की आयु इतनी कम है कि वह विद्यालय नहीं जा सकता।	उपयुक्त चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
विद्यालय में अध्यापन संतोषजनक नहीं है।	के.जी. कक्षाएँ बढ़ानी चाहिए।
विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं है।	अध्यापन में आधुनिक अध्यापन–अधिगम तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
कक्षा में बार–बार अनुत्तीर्ण होना	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित प्रोन्नति नीति अपनाई जाए।
बच्चा पढ़ाई में रूचि नहीं लेता है।	पाठ्यक्रम को बच्चे की योग्यता तथा आवश्यकता अनुसार रूपांतरित किया जाए।

क्रियाकलाप–1

(1) बाल जनसंख्या की व्याप्ति के प्रसार संबंधी पाँच उपाय सुझाइए।

.....

.....

.....

6.9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और सर्व शिक्षा अभियान का सुमेलीकरण

अप्रैल 1, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को उसके आवास के निकट उपयुक्त कक्षा में 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की जाएगी।

परंतु इस स्थिति में देखने की बात यह है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रचंड कमी के कारण अधिकारिकी किस प्रकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम को नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने की योजना बनाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 300 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए एक किलोमीटर की दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए तथा 800 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए दो किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। वर्तमान में, बेसिक शिक्षा विभाग के रिकार्ड के अनुसार एक जिले में 1032 प्राथमिक विद्यालय तथा 352 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 780 अन्य मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय तथा 577 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो जिले में 1812 प्राथमिक विद्यालय हैं और 929 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। परंतु सर्व शिक्षा अभियान मानदंडों के अनुसार उस जिले में जिसकी जनसंख्या 31,38,671 (2001 की जनगणना) हो, 10432 प्राथमिक विद्यालय तथा 3923 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। तथापि प्रत्येक जिले में कुछ अन्य विद्यालय जैसे निजी, गैर–सरकारी विद्यालय तथा मदरसे भी हैं।

सर्व शिक्षा अभियान केन्द्रीय सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे 2001 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण। इसे राज्य सरकारों की साझेदारी में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का फोकस है विद्यालय से बाहर के सभी विद्यार्थियों (बच्चों) को जिनकी आयु 6–14 वर्ष तक की है विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग करते हुए मुख्यधारा में लाना तथा उन्हें 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा देना। यह कार्य 2010 तक पूरा किया जाना था, परंतु पूरा नहीं हो पाया है। भारतीय

संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों का दर्जा दे दिया गया है। और अब 2009 में 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक बालक/बालिका 6–14 वर्ष की आयु में विद्यालय जाए। यह हमारा कर्त्तव्य है तथा इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में 3,878 शहरी केन्द्र या इलाके हैं जिनकी अनुमानित जनसंख्या 19.5 करोड़ हैं। इनमें कुल विद्यालय 74546 हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 2500 जनसंख्या पर मात्र एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। इससे आगे आपको विदित होना चाहिए कि 5 से 14 वर्ष की आयु के 12 लाख भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो निर्माण तथा उत्पादन उद्योगों जैसे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की सर्व शिक्षा अभियान की व्यापक अभिगम्यता तथा कार्यान्वयन कार्यनीतियों के लिए निहितार्थ हैं और अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के दर्शन, कार्यनीतियों तथा मानदंडों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मेल होना चाहिए। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्री अनिल बोर्डिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सुझाव देगी।

6.10 सारांश

उपर्युक्त इकाई जिसका शीर्षक है "प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ-II में आपने देखा कि हमने सर्व शिक्षा अभियान की पृष्ठभूमि तथा इसके अनिवार्य पक्षों का विवेचन किया और स्पष्ट किया कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। इस विवेचन को आगे बढ़ाते हुए हमने सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को स्पष्ट किया तथा इस अभियान की प्रमुख व्यूहरचनाओं की व्याख्या की। इस संदर्भ में हमने मध्याह्न भोजन व्यवस्था के योगदान पर भी चर्चा की और देखा कि किस भाँति इस योजना से बच्चों की विद्यालय के लिए अभिगम्यता तथा अवधारण में वृद्धि हुई है। हमने सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय मानदंडों पर विचार किया। यह भी बताया कि बच्चों के लिए शिक्षा की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए विद्यालय में किन–किन सुविधाओं का विकास होना चाहिए तथा अंत में हमने सर्व शिक्षा अभियान तथा आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की सुभेदीकरण की समीक्षा भी की।

6.11 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

www.educationforallinindia.com/
www.indianexpress.com/news/lesson-learnt-mp-monitors-ss
depssa.ignou.ac.in/wiki/index.php/Publications

11 Feb 2010 ... Bhumika : A Hand **Book** on Roles and Responsibilities of Head Masters/Head Teachers under **SSA**. Bihar. A Guide **Book** for Early Child Care ...

6.12 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) सर्व शिक्षा अभियान के मूल लक्षण क्या हैं?

2) अपने इलाके के उन विद्यार्थियों पर एक रिपोर्ट तैयार करें जो 6–14 वर्ष की आयु के है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इकाई 7 सार्विक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन

संरचना

7.0 प्रस्तावना

7.1 अधिगम उद्देश्य

7.2 प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण

7.2.1 केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ

7.2.2 विकेन्द्रीकरण पर भारत का अनुभव

7.3 सूक्ष्म स्तर पर आयोजन

7.3.1 आयोजन का अर्थ

7.3.2 समुदाय स्वामित्व

7.3.3 सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के विभिन्न चरण

7.3.4 डी.ई.ओ., डी.आर.सी. (डाइट), बी.ई.ओ. (बी.आर.सी.) तथा सी.ई.ओ. (सी.आर.सी.) की भूमिकाएँ और कर्तव्य

7.4 प्रारंभिक शिक्षा में अभिशासन तथा प्रबंधन संबंधी समस्याएँ/विषय

7.4.1 अभिशासन संबंधी समस्याएँ

7.4.2 अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन

7.4.3 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

7.5 विद्यालय प्रबंधन बनाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.आई. एक्ट, 2009)

7.6 प्रभावी प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग

7.6.1 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के प्रबंधन के लिए सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)

7.6.2 स्कूल नेट क्या है?

7.6.3 स्कूल नेट के कार्य तथा सेवाएँ

7.6.4 स्कूल नेट : एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में

7.7 वित्त व्यवस्था संबंधी प्रारूप

7.8 सारांश

7.9 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

7.0 प्रस्तावना

इकाई 5 तथा 6 में आपने यह भी पढ़ा कि "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए (6 वर्ष से 14 वर्ष तक के) मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इन इकाईयों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियाँ भी समझाई गई थी। एक अध्यापक के रूप में आपका यह कर्त्तव्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुसार उसे विद्यालयों में कार्यान्वित करें। अब तक आपने यह अनुभव किया होगा कि सरकार सभी बच्चों को, चाहे वे निःशक्त हो, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हों, प्रवासी परिवारों के बच्चे हों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे हो, जो विद्यालय में नहीं आते, विद्यालय में लाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कभी विद्यालय में पंजीकृत ही नहीं हुए और ऐसे भी हैं जो विद्यालय बीच में छोड़ कर चले गए हैं, चाहे उस का कारण जो भी है।

इस कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने ऊपर से नीचे तक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है ताकि शिक्षा सभी बच्चों तक पहुँच सके। इस इकाई में आप यह पढ़ेंगे कि एक अध्यापक के रूप में आप इस कानून का तथा सरकारी तंत्र का उपयोग कैसे कर सकेंगे ताकि बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाने में सहायता कर सके, बिना इस विचार के कि उनकी परिस्थितियाँ कैसी रही है। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि यू.ई.ई. का कार्यान्वयन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड, तथा ग्राम स्तरों पर कैसे योजनाबद्ध किया जाता है। इससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि किससे संपर्क करना है तथा अपने विद्यालय के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आप ने किन तरीकों का प्रयोग करना है। इस प्रकार का ज्ञान विद्यालय स्तर तथा स्थानीय प्रशासन स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया में सार्थक रूप से भागीदार होने में सहायता करेगा।

7.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि :

- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों के नाम बता सकेंगे;
- यू.ई.ई. के लिए काम में आने वाली विभिन्न स्कीमों की विवेचना कर सकेंगे;

- विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न बच्चों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है उसमें विद्यमान समुदाय संसाधनों की उपलब्धता पर चर्चा कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए रूचिकर, सुखद, तथा संगत अनुभव बनाने के लिए विशेष क्रियाकलाप आयोजित तथा कार्यान्वित कर सकेंगे; और
- अध्यापन करते समय आपके सम्मुख आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकने में आपकी सहायतार्थ अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेताओं, विशेषज्ञों तथा अन्य संगठनों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण के प्रबंधन तथा आयोजन के लिए अपनाई गई कार्यनीतियाँ एक फ्रेमवर्क तथा एक संदर्भ बिन्दु का काम करती है। कार्यनीति से अभिप्राय है उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सुविचारित योजना।

7.2 प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण

7.2.1 केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ

किसी केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली में अधिकांश निर्णयन, मॉनीटरिंग, तथा प्रबंधन प्रकार्य राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के हाथ में तथा राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के हाथ में संकेन्द्रित होते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें शिक्षा प्रणाली के सभी पक्षों का नियमन करती है, उनका नियंत्रण करती हैं या व्यवस्था करते हैं वे; नीति निर्धारण करती है और प्रबंधन कार्य संपादित करती है जैसे, अध्यापकों को वेतन देना, सेवा–पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना पाठ्यचर्या निर्माण, अधिगम के न्यूनतम स्तर इत्यादि। क्योंकि व्यवहार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें विद्यालय कर्मी स्थानीय स्तर पर निष्पादित कर सकते हैं। परंतु ऐसे कार्य जैसे सिलेबस, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का माध्यम, आदि के विषय में अध्यापकों को बहुत अधिकार नहीं दिए जाते हैं।

इसके विपरीत एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली में स्थानीय/जिला गाँव के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं यद्यपि इस संबंध में कुछ सीमित नियंत्रण केन्द्रीय या राज्य या जिला स्तर की अधिकारिकी के पास होता है। व्यवहार रूप में प्राथमिक शिक्षा प्रणालियों में केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत दोनों प्रणालियाँ कार्य करती हैं। बहुत–सी राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ की हुई है। प्राथमिक प्रारंभिक की डिलीवरी व उत्तरदायित्व के ढाँचे की एक अनुक्रियाशील प्रणाली का एक नया तरीका तैयार करने तथा उसे संचालित करने के लिए कई राज्य सरकारों ने नए कानून पारित किए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर प्राथमिक

शिक्षा प्रदान करने के लिए समुदाय और ग़ैर–सरकारी संगठनों के साथ एक निकट सहयोग तथा भागीदारी का समर्थन किया है। समग्र रूप में, एक केन्द्रीकृत प्रणाली से विकेन्द्रीकृत प्रणाली की ओर रूपांतरण एक धीमी प्रक्रिया है। निर्णयन प्रक्रिया का फोकस शनैःशनै राज्य से जिला/उपजिला तथा समुदाय स्तर पर लाकर देश विकेन्द्रीकृत प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा।

विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप जिला स्तरीय तथा उप जिला स्तरीय अधिकारिकी के हाथों में अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है तथा अधिकारी शैक्षिक सेवा को उपभोक्ताओं के निकट लाते हैं और अध्यापकों, विद्यालयों तथा स्थानीय प्रशासन को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बनाते हैं।

विकेन्द्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्षता तथा समावेशन सुनिश्चित करना है। तथापि जब तक ये सुधार सुनियोजित नहीं होते और कार्यान्वित नहीं किए जाते, यह उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने विचार किया था तथा उत्तरवर्ती कई समितियों ने इस पर बल दिया, राष्ट्रीय सरकार संस्थागत सुधारों के समन्वयन में तथा राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के मानीटर करने में एक भूमिका निभाती रहेगी।

परंतु शिक्षा के विकेन्द्रीकरण में कुछ सीमाएँ भी हैं। प्रारंभिक शिक्षा का निधीयन (फंडिंग) और शक्ति और उत्तरदायित्व का साझा विभाजन स्थानीय उत्तरदायित्व तथा कुशलता को प्रभावित कर सकता है। यू.ई.ई. के उद्देश्यों की अप्राप्ति का कुसूर प्रत्येक साझीदार (स्टेकहोल्डर) दूसरे पर मंड़ता है।

प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण तथा प्रबंधन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा स्थापित एक लक्ष्य है। शिक्षा नीति की यह धारणा रही कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति (VEC) के रूप प्रत्यक्ष रूप से समुदाय का हस्तक्षेप हो। प्लान ऑफ एक्शन (PoA), 1992 ने प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर नियमित रूप से दृष्टि रखने की प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म आयोजन पर बल दिया। पी.ओ.ए. का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि प्रत्येक बच्चे अपनी पसंद के स्थान पर अपनी पढ़ाई करे और कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) पूर्ण करें।

7.2.2 विकेन्द्रीकरण पर भारत का अनुभव

आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई शिक्षा प्रणाली उस समाज जिसका वह भाग है, से अलग कार्य नहीं कर सकती। हमारी सामाजिक व्यवस्था वर्ग, जाति, जैंडर, तथा धर्म पर आधारित बहुत से स्तरों में बँटी हुई है। व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या जो समाज के सुविधावंचित वर्गों की श्रेणी में आती है, के पास, आश्रय, जल स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा शिक्षा जैसी मूल सुविधाओं का अभाव है। बिना बेसिक शिक्षा प्राप्त किए वे जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है जिसमें वे एक अधिक गतिशील तथा क्रिया अनुकूल भूमिका अदा कर सकते हैं। इस परिवर्तन ने महिलाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा अन्य व्यक्तियों को आवाज प्रदान की हैं अब वे अपने विरुद्ध हो रहे पक्षपात के प्रति आवाज उठा सकते हैं। इन संदर्भ में अन्य अनुभव निम्नलिखित योजनाओं से प्रतिबिम्बित हो जाएँगे:

- समेकित बाल विकास योजना (ICDS) अनुभव ने दर्शाया है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के सुविधा वंचित व असुरक्षित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने में स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अति महत्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी स्पष्ट किया है कि जब जिला स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान रूप अपनाया गया जिसमें लोगों ने सक्रियता से भाग लिए, तो साक्षरता दर बढ़ाने में इसका प्रभाव काफी था।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.), जिसे नवंबर 1994 में आरंभ किया गया, इतना सफल रहा कि सरकार ने यू.ई.ई. के लिए देशभर में डी.पी.ई.पी. कार्यनीति को संचालित करने का फैसला ले लिया।
- डाइट (जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान) को अपने–अपने राज्यों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास की योजना बनाने के लिए मुख्य दायित्व दिया गया है। यही संस्थाएँ हैं जो प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पर नजर रखने और समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हैं।

आयोजन तथा प्रबंधन में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा से संबंधित व्यावसायिकों तथा प्रशासकों, जो शहरी स्थानीय प्रशासन पर और पंचायती राज संस्था स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा सहायता दी जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा में स्थानीय स्तर की संस्थाओं को विभिन्न राज्यों में मजबूत बनाया जा रहा है। क्योंकि ई.सी.सी.ई. (ECCE) (पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा) महत्वपूर्ण है, अतः यू.ई.ई. का उद्देश्य है ई.सी.सी.ई. या आई.सी.डी.एस. द्वारा निर्मित आधार का सहारा लेना। आप इस बात से अवगत हैं कि आई.सी.डी.एस. विद्यालय–पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय के समर्थन पर निर्भर करता है। स्थानीय समुदाय के सम्मिलित होने के कारण ही आई.सी.डी.एस. को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में से एक माना गया है।

स्थानीय समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों को सम्मिलित करना अनिवार्य है:

- पंचायती राज संस्थाएँ
- विद्यालय प्रबंधन समिति

- ग्राम/शहरी वार्ड/स्लम स्तरीय शिक्षा समिति
- अभिभावक–शिक्षक सघ
- माँ–अध्यापिका संघ
- जनजातीय स्वायत्त विकास समितियाँ

इसके अतिरिक्त अन्य तृणमूल स्तरीय (आधारिक) एजेंसियाँ सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा तथा विद्यालयों का साझा प्रबंधन है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के दो पहलू हैं:

i) यह प्रारंभिक शिक्षा संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) प्रदान करता है।

ii) देश भर में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण पक्षों को बल प्रदान करने के लिए यह एक विशेष बजट प्रावधानों समेत एक कार्यक्रम है।

प्रगति जाँच–1

(1) विकेन्द्रीकरण से क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

(2) प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लिए एक विकेन्द्रीकृत व्यूह रचना क्यों अपनाई गई?

.....

.....

.....

7.3 सूक्ष्म स्तर पर आयोजन

आयोजन और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का अभाव विभिन्न विकास योजनाओं के असफल कार्यान्वयन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण रहा हैं। पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन

में लोगों का निकट सहयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ऐसा माना गया कि स्थानीय व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना स्थानीय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना संभव नहीं होगा। इस अवधारणा को **"तृणमूल स्तर पर आयोजन"** का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में से **"सूक्ष्म आयोजन"** भी कहते हैं। इस का अर्थ है: क) आवश्यकताओं का पता लगाने में स्थानीय व्यक्तियों – लाभग्राहियों – की भागीदारी, ख) निम्नलिखित रूपों में प्राप्य संसाधनों को उत्पन्न करना, (i) प्रयोग में आने वाली सामग्री, (ii) सहयोगात्मक क्रियाविधि, (iii) प्रोत्साही प्रयास द्वारा अधिक संसाधनों का निर्माण। ग) प्राप्य संसाधनों का ध्यान रखते हुए ग्राम योजना तैयार करना।

7.3.1 आयोजन का अर्थ

सामान्य शब्दों में आयोजन के निम्नलिखित सूचक हैं:

- अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ क्रियाविधियों या क्रियाकलाप का आनुक्रमिक प्रस्तुतीकरण
- समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीतियों की पहचान व उन के विकास की प्रक्रिया की योजना बनाना
- योजनाओं तथा कार्यनीतियों को कायान्वित करने के लिए संसाधनों को संघटित (mobilize) करना, प्रगति की देखरेख करना तथा इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना

7.3.2 समुदाय स्वामित्व

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय उस निवास स्थल में रहने वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है, यह आवश्यक है कि उस गाँव के रहने वाले (निवासी) सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का स्वामित्व व उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। एक अकेले अध्यापक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकें। इस प्रक्रिया में सभी साझेदारों को, जैसे महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों इत्यादि को सम्मिलित होना पड़ेगा। सभी साझेदारियों की सहायता से यह सुनिश्चित करें कि समाज के सुविधावंचित बच्चों समेत सभी बच्चे गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

7.3.3 सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के विभिन्न चरण

सूक्ष्म आयोजन प्रक्रियाओं में समुदाय को सम्मिलित करने हेतु निम्न चरणों का अनुपालन किया जाना चाहिए:

i) समुदाय का सशक्तिकरण

- इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति (VEC), विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC), माँ–अध्यापक संघ इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी क्षमता का विकास हो और वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को पहचान सकें, और उनके उत्तर ढूँढ़ सकें।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से समुदाय को अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। इसके अतिरिक्त इन अभियानों से लोग अपनी भूमिकाओं और दायित्वों से प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत हो जाएँगे। इन अभियानों में निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हो सकते हैं:

  – मीना अभियान

  – माँ बेटी मेला

  – महिला सम्मेलन

  – किशोरी मेला

  – बाल–शिशु मेला

  – प्रभात फेरी

  – पंजीयन अभियान

  – सांस्कृतिक कार्यक्रम – नुक्कड़ नाटक जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित हों जैसे – वर्धित पंजीयन सुनिश्चित करना, ड्रापआउट को कम करना, विद्यालय प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना, लड़की की शिक्षा, सुविधावंचित समूह जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, खानाबदोश तथा पशु चराने वाले बच्चों को मिलने वाले अधिकारों की जानकारी इत्यादि।

ii) आयोजन दलों की पहचान

आयोजन के लिए आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मात्र एक सरकारी अधिकारी अथवा एक अध्यापक पर्याप्त नहीं है। यू.ई.ई. के प्रत्येक पक्ष पर अच्छी प्रकार सोचने और संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए आभ्यंतर (कोर) दल बनाने की आवश्यकता है जिसमें समुदाय में स्वामित्व की भावना भी जागेगी, उनका सहयोग भी मिलेगा और वे मुख्य स्टेकहोल्डर (साझीदार) के रूप में सम्मिलित होकर उद्देश्य निर्धारित करने और प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने में सकारात्मक योगदान करेंगे। इस प्रकार एक आभ्यंतर आयोजन दल को सम्मिलित करना योजना को वैधता प्रदान करना है।

इस आभ्यंतर आयोजन दल का निर्माण करने के लिए समुदाय तथा लक्ष्य समूह से बातचीत करने से उन सदस्यों की पहचान सुगम होगी जिन्हें इस दल में सम्मिलित किया जाना है। इस दल में कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से जागरूक, कुछ वे लोग जिनके पास विचार हैं और वे सामाजिक कार्य करने के इच्छुक हैं, कुछ जो अपनी सुविज्ञता (expertise) देना चाहते हैं। स्त्रियाँ तथा अल्पसंख्यक शिक्षित परंतु बेरोजगार व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सबके सम्मिलित होने से समुदाय–विद्यालय संबंधों का निर्माण होगा तथा उन्हें बल मिलेगा। हाँ, इस दल के चयन में थोड़ा यह ध्यान भी रखा जाए कि कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य सम्मिलित हों जो इस योजना से असहमत हो, ताकि वे इस योजना के कमजोर बिन्दुओं को सामने ला सकें और उन बिन्दुओं पर चर्चा की जा सकें। दल में सभी प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है ताकि प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुँचाया जा सके। वस्तुतः यह आभ्यंतर आयोजन दल ऐसा होना चाहिए जिसमें समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

iii) आभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण

आयोजन की गुणवत्ता आभ्यंतर आयोजन दल की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रस्तावित योजनाएँ जिला स्तर पर प्रायोगिक हों जिन्हें पूरा किया जा सके। समस्त आयोजन प्रक्रिया सहभागी होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षिक विकास के सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई एक समूह इस प्रक्रिया को अपनी ओर न खींच ले जाए। इस आभ्यंतर आयोजन दल का कार्य होगा विद्यालय विकास योजनाओं को संघटित करना। इस दल से यह अपेक्षा है कि यह विद्यालय की आवश्यकताओं को ग्राम स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा, गाँव की आवश्यकताओं को ब्लॉक स्तर पर, तथा ब्लॉक की आवश्यकताओं को सही ढंग से जिला स्तर पर प्रस्तुत करेगा अतः उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, मापदंडों आदि से परिचित कराने के लिए दो या तीन बार कार्यशालाएँ आयोजित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्हें इस बात से अवगत कराने की आवश्यकता है कि कलस्टर, ब्लाक, तथा जिला स्तर पर उपलब्ध सुविज्ञता का लाभ कैसे उठाया जाए।

iv) उन मुद्दों की पहचान करना जिनसे निपटने के लिए हस्तक्षेप (इंटर्वेशन) की आवश्यकता पड़ती है।

आयोजन दलों के निर्माण के पश्चात अगला चरण है उन मुद्दों का आकलन करना जिनका संबंध प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता, पंजीयन, अवधारण तथा गुणवत्ता से हो और इस संदर्भ में यह निर्णय भी लिया जाए कि क्या इन मुद्दों से गाँव स्तर पर ही निपटा जा सकता है अथवा खंड या जिला स्तर पर निपटने की आवश्यकता होगी। ये मुद्दे:

- प्रशासन संबंधी हो सकते हैं।

- नीति में परिवर्तन लाने वाले हो सकते हैं।
- ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए निर्धारित मापदंडों का अद्यतन (updating) किया जाना चाहिए।
- ऐसे हो सकते हैं जिनका निपटारा सहयोगात्मक ढंग से किया जाए।
- ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए जिला या राज्य अधिकारिकी से सहायता की आवश्यकता हो।

इस स्तर पर प्राप्य संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, गाँवों, खंडों तथा जिलों के मध्य एक गहरी होड़ लग सकती है जिसमें वे अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं, चुनौतियों या मुद्दों को दूसरों के मुद्दों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण व अति आवश्यक बताएँगे। ऐसी स्थिति में इन मुद्दों को शिक्षा विभाग की योजनाओं में सम्मिलित कराने/करने के लिए ठोस (आँकड़ों आधारित) आधार का होना आवश्यक है ताकि उन्हें सही प्राथमिकता मिल सके। कई बार अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए अंतरा–जिला योजना कार्यशालाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

v) आँकड़ों की आवश्यकता तथा उनके स्रोत

सभी योजनाएँ समयबद्ध होती हैं जिनमें विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट आदेश होते हैं क्योंकि "शिक्षा का अधिकार "अवधारणा" का यह स्पष्ट कथन है कि सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करेंगे, अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित पर सही आँकड़ों की प्राप्ति अनिवार्य होगी:

- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे (लड़के और लड़कियाँ दोनों) – पंजीकृत, जो कभी पंजीकृत नहीं हुए, बीच में विद्यालय छोड़ने वाले।
- विद्यालयों की संख्या – सरकारी, मान्यता प्राप्त (ग़ैर सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त) ग़ैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक विद्यालय
- संरक्षी संस्थाओं में रह रहे बच्चे
- अनुसूचित जनजाति/जाति, खानाबदोश जनजातियों, अत्यधिक पिछड़ी जातियों आदि जनजातियों से संबंधित बच्चे
- निःशक्त बच्चे
- श्रमजीवी बच्चे
- सामूहिक हिंसा/अत्याचार से पीड़ित बच्चे
- प्रवासी बच्चे

- विस्थापित परिवारों के बच्चे
- गलियों या सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले बच्चे
- कैदियों/वेश्याओं के बच्चे
- अन्य सुविधावंचित बच्चे

इन पर प्राप्त आँकड़ों से उस लक्ष्य समूह को ढूँढ़ना संगव होगा जिसे विद्यालय में लाया जा सकता है।

क्योंकि आयोजन का अर्थ है लक्षित आयु समूह में प्रत्येक बच्चे पर फोकस करना, अतः आँकड़े ऐसे हों कि प्रत्येक बच्चे की प्रगति की देखरेख की जा सके।

अलग–अलग वर्गों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग–अलग शिक्षण विधियों के प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। इन आवश्यकताओं के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण के पाठ्यचर्या विकास, इन्हें विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन आदि का आकलन तथा आयोजन किया जा सकता है।

उपर्युक्त सूचनाओं को अधिकांश भाग विद्यालयों/सरकारी विभागों में भी उपलब्ध हो सकता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। मात्र ऐसे आँकड़े उपलब्ध कराना जो वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंबन करते हों, आँकड़ों के संकलन का एक मात्र उद्देश्य नहीं है। इन आँकड़ों का प्रयोग चुनौतियों का निदान करने में, विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में, अपेक्षित संसाधनों के आकलन में, अध्यापन के आयोजन में, तथा संसाधनों के लिए माँग को न्यायसंगत बनाने में किया जा सकता है। आँकड़े आधारित आयोजन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम तथा प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगा। परिवारों के सर्वेक्षण के द्वारा एकत्रित आँकड़े निवास स्थल स्तरीय आयोजन का आधार बनते हैं। इस प्रकार संकलित आँकड़ों को संघटित कर लिया जाता है। इसके पश्चात् इन्हें कम्प्यूटर में फीड कर लिया जाता है जो निवास स्थल स्तर के आयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सकता है।

vi) सूक्ष्म आयोजन अभ्यास

जब हमने आभ्यंतर आयोजन टीम का गठन कर लिया होता है और उनकी क्षमता निर्माण प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और इंटर्वेंशन (हस्तक्षेप) कार्यनीतियों पर सहमति भी हो गई है तथा तत्पश्चात् आवश्यक आँकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं, तब सूक्ष्म आयोजन अभ्यास आरंभ किया जाता है। इस अभ्यास में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं:

- पंजीयन पर, ड्राप आउट पर, अवधारण पर, बच्चों के उत्तीर्ण दरों पर और बच्चों के कैटेगरी (वर्गों के अनुसार) अध्यापक–अध्येता अनुपातों पर लक्ष्य स्थापित करना

- संपादित किए जाने वाले क्रियाकलाप पर निर्णय लेना
- क्रियाकलाप को अनुक्रमित करना
- लक्ष्य प्राप्ति के लिए चरणों का निर्धारण करना
- विभिन्न क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या संगठनों को निर्धारित करना
- आवश्यक समय का आकलन करना
- प्रत्येक मद के खर्चे का अनुमान लगाना
- योजना प्रस्ताव तैयार करना

संक्षेप में क्रियाविधि का तार्किक ढाँचा तैयार किया जाता है। क्रियाविधि के तार्किक ढाँचे में उद्देश्य, प्रत्येक उद्देश्य से संबंधित क्रियाकलाप, व्यक्ति जो उस क्रिया को संपादित करेगा, अपेक्षित समय, क्रियाकलाप का शिड्यूल, बजट शीर्षक, निधि निर्धारण तथा अपेक्षित निष्पत्तियाँ सम्मिलित होती हैं।

अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं और कक्षागत अन्योन्यक्रिया के रूप में जो कुछ भी घटित होता है वह अत्यंत महत्वपूण होता है। क्योंकि यह सभी आयोजित कार्यनीतियों के उत्कर्ष को प्रतिबिंबित करता है। अतः यह जानना महत्वपूर्ण है कि कक्षा संचालन कैसे संपादित किया जाता है।

कक्षा के अंदर अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं:

- कक्षा का वातावरण (भौतिक और सामाजिक वातावरण समेत)
- कक्षा का संगठन तथा प्रबंधन (बैठने की व्यवस्था, कक्षा विन्यास, अधिगम–अध्यापन समूहों का संगठन, पाठ्य सामग्री का निदर्शन तथा इनकी प्रयोज्यता)
- अध्यापक–अध्येता अनुपात
- अपनाई गई अध्यापन विधियाँ तथा कार्यनीतियाँ
- अध्यापन अधिगम पदार्थ सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री
- कक्षा के क्रियाकलाप में बच्चों की भागीदारी (शाब्दिक/ग़ैर शाब्दिक)
- कक्षा में पढ़ाने के लिए विद्यमान सुविधाएँ
- अध्यापक द्वारा नवाचारी, प्रासंगिक शिक्षण शास्त्र पर प्रयोगीकरण के अवसर
- शैक्षिक तथा सह–शैक्षिक अधिगम क्षेत्रों के लिए समुदाय के विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए, स्थानीय शिक्षा स्नेही व्यक्तियों की सहायता लेते हुए माता–पिता को सम्मिलित करने संबंधी कार्य नीति।

यह आवश्यक नहीं है कि समस्त अध्यापन–अधिगम केवल कक्षा में घटित हो। कई बार यह अधिक सार्थक होगा यदि आप बच्चों को बाहर प्रकृति के संसर्ग में ले जाएँ और वहाँ पर जाकर जैव–विविधता पर एक पाठ पढ़ाएँ। ऐसी क्रियाओं के लिए बहुधा बजट प्रावधान होना आवश्यक है। इसे शिक्षा योजना प्रस्ताव में सम्मिलित करना होगा।

बच्चों के समग्र शिक्षा के लिए तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय प्रायः खेलकूद, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परियोजना कार्य, क्रिया–आधारित अधिगम, जीवन कौशलों के लिए प्रभावन जैसे कार्य कार्यक्रम संचालित करते हैं। इस प्रकार के फोकस का अर्थ है विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखना जो सामुदायिक क्रियाकलाप का केन्द्र बिंदु हैं। कार्यानुभव प्राप्त कराने के लिए बच्चों को व्यावसायिकों, किसानों, शिल्पकारों के साथ संलग्न करना पड़ेगा ताकि वे सामाजिक व प्राकृतिक संदर्भ में प्रवीणता प्राप्त कर लें। बच्चों के समग्र शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा मानसिक विकास के लिए इन क्रियाकलाप को अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया में निर्मित करना पड़ेगा। इन सभी क्रियाकलाप को संपादित कर सकने के लिए अलग–अलग बजट प्रावधानों की आवश्यकता है जैसे खेल के मैदान के लिए शारीरिक शिक्षा/योग अध्यापक के लिए, खेल के सामान के लिए, अन्तर–विद्यालयी खेलकूद तथा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए ब्रज की आवश्यकता होगी जिसका विस्तृत ब्यौरा सूक्ष्म आयोजन में आना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की अनुशंसाओं के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारी नवाचारी स्कीमें आई जैसे – आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अध्यापक शिक्षा, "गैर–औपचारिक शिक्षा", "महिला समख्या", प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" और कुछ विशेष रूप से अभिकल्पित शिक्षा परियोजनाएँ जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश की परियोजनाएँ प्रमुख हैं। इन सब परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य साक्षरता का प्रसार तथा प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण था।

इन सभी परियोजनाओं और योजनाओं में नवाचारी विचार तथा क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिन्हें सूक्ष्म आयोजन अभ्यासों में सम्मिलित किया जा सकता है।

विद्यालय में किए जाने वाले निर्माण कार्यों का फोकस बाल–अनुकूल विद्यालय परियोजना निर्मित करना है। विद्यालय ऐसी जमीन पर स्थित होना चाहिए जो संकटमय नहीं हो (जैसे नीचा क्षेत्र जहाँ पानी भर जाने की संभावना हो, राजमार्ग, नदी या तालाब के बहुत निकट होना, हाईटेंशन बिजली की लाइन के नीचे इत्यादि जोखिम भरे क्षेत्र हैं), सभी बच्चे आसानी से पहुँच सकें। विद्यालयी भवन का डिजाइन कार्यात्मक तथा आकर्षक हो। कमरों के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो और निदर्शन (demonstration) के लिए स्थान हो। बाधामुक्त लक्षण जैसे रैम्प, हैंड रेल इत्यादि का प्रबंध अनिवार्य रूप से होना चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त शौचालय, पीने का पानी, विद्युतीकरण, बाउडरी दीवार तथा खेल के मैदान प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य हैं। इन सभी बातों के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए।

यह जानना आवश्यक है कि कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं और उन्हें योजना प्रस्तावों में कैसे दिखाया जाए। एक ड्राफ्ट प्लान प्रोपेजल में निम्नलिखित चीजों का होना अनिवार्य है:

- संदर्भ/पृष्ठभूमि/समस्या जिसमें जनसांख्यिकीय सूचना सम्मिलित हो
- उद्देश्य
- कार्यनीति
- स्टाफ संबंधी माँग
- आधारभूत आवश्यकताएँ
- कार्यक्रम/क्रियाकलाप
- अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक संशोधन, मॉड्यूल/मैनुअलों के लिए अपनाई गई व्यूह रचनाओं का विवरण
- बच्चों की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए विस्तृत योजना
- योजना काल में आरंभ किए गए नए कार्य
- प्रकाशित किए जाने वाले प्रलेख/रिपोर्ट
- आरंभ किए जाने वाले मानीटरिंग, मूल्यांकन, सामाजिक ऑडिट
- प्रत्येक क्रिया के लिए बजट में रखी गई धन राशि।
- पिछले वर्ष के दौरान निर्मुक्त (released) केन्द्रीय तथा राज्य के हिस्से की निधि की स्थिति
- आवर्त्ती अनुदान के रूप में अप्रयुक्त राशि जो वित्तीय वर्ष के अंत में रद्द हो जाती है।
- खर्च के अनावर्ती मदों पर अनुदान का अप्रयुक्त शेष जो पिछली योजना अवधि से वर्तमान वर्ष में लाया जाना है।
- अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता
- वर्तमान वर्ष के लिए आवश्यक बजट स्टेटमेंट

क्रियाकलाप पर खर्च निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। योजना प्रस्ताव में "कार्यवाही की गई" रिपोर्ट, अवरोधों को समझने के लिए किया गया आकलन, राज्य अधिकारिकी से प्राप्त नीतिगत तथा प्रशासनिक निकासी। यदि मानदंडों से हट कर योजना में कुछ सुझाव दिए गए हों तो उनका पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिए। योजना प्रतिपादन की प्रक्रिया, योजना बैठकों का विवरण, कार्यशालाएँ तथा सैमिनार इत्यादि जो आभ्यंतर योजना दल ने स्टेकहोल्डरों के साथ किए, उन सबको स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाए क्योंकि आयोजन शिक्षा का अधिकार अवधारणा द्वारा अपेक्षित एक सांविधिक प्रयास है। इसमें बॉटम अप उपागम का प्रयोग किया जाता है।

बॉटम अप उपागम का अर्थ है कि किस गाँव आदि में प्रत्येक विद्यालय–निजी, सहायता प्राप्त/ग़ैर–सहायता प्राप्त और सरकारी स्वयं विकास योजना प्रस्ताव तैयार करेंगे। मूल रूप से सूक्ष्म आयोजन प्रक्रियाएँ जो ऊपर दर्शाई गई हैं, विद्यालय के आयोजन के लिए भी लागू हो सकती हैं।

बस्ती के स्तर पर, विद्यालय आयोजन प्रस्ताव जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, संघटित कर किए जाते हैं। यू.ई.ई. के अंतर्गत एक समुदाय आधारित उपागम को अपनाया गया है।

प्रगति जाँच–2

1) आयोजन से क्या अभिप्राय है तथा सूक्ष्म आयोजन क्या होता है?

.....

.....

.....

2) यू.ई.ई. के लिए सूक्ष्म आयोजन को क्यों अपनाया गया है?

.....

.....

.....

3) सूक्ष्म आयोजन में निहित चरण कौन–से हैं?

.....

.....

.....

7.3.4 डी.ई.ओ., डी.आर.सी. (डाइट), बी.ई.ओ. (बी.आर.सी.) तथा सी.ई.ओ. (सी.आर.सी.) की भूमिकाएँ और कर्त्तव्य

डी.ई.ओ., डी.आर.सी. (डाइट), बी.ई.ओ. (बी.आर.सी.) तथा सी.ई.ओ. (सी.आर.सी.) की भूमिकाएँ तथा दायित्वों का विवरण नीचे क्रमबद्ध रूप में दिया गया है:

क) जिला स्तर

जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक शिक्षा (डी.ई.ओ.) तथा इसके अधीनस्थ अधिकारियों को आयोजक, परिपालक (implementer), समन्वयक, तथा मॉनीटर सभी के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में उसे निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है।

- उसे ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकें।
- सभी गाँवों (निवास स्थलों) में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की विद्यालयन की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- सभी विद्यालय आयु के बच्चों के लिए निकटवर्ती स्थान पर शिक्षा के लिए भौतिक और सामाजिक अभिगम्यता सुनिश्चित करना
- ऐसे कदम उठाना जिससे सभी बच्चों जो विद्यालय नहीं आते, वे विद्यालय में आने लग जाए और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि उन सभी बच्चों को यदि आवश्यकता हो तो होस्टल सुविधाएँ प्रदान करें।
- बच्चों का रिकार्ड बनाए रखने के लिए 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की जन्म तिथि पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाना।
- विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को मॉनीटर करना और इसकी सूचना उच्च अधिकारिकी को भेजना
- जहाँ आवश्यकता हो अध्यापक–प्रशिक्षण तथा आधारभूत सुविधाओं का प्रबंध करना
- विभिन्न विद्यालय–प्रबंधन समितियों की क्षमता का विकास करना, अध्यापकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षिक स्तर तथा अध्यापन–अधिगम सामग्री की उपलब्धता को मॉनीटर करना
- लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए (CWSN) निःशुल्क वाहन सुविधाएँ प्रदान कर उनके लिए अभिगम्यता सुनिश्चित करना
- ऐसे बच्चों को, जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं और जहाँ विद्यालय बनाना संभव नहीं है, आवासीय सुविधाएँ प्रदान कर अभिगम्यता सुनिश्चित करना
- अध्यापन–अधिगम सामग्री, अन्य उपकरण, बाल–स्नेही (child-friendly) तथा बाधामुक्त विद्यालय वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधावंचित समूह के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना। सुविधावंचित समूह में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चे, खानाबदोशों के बच्चे, अन्य पिछड़ी जातियाँ, मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक, लड़कियाँ, शहरी वंचित बच्चे, गली–कूचों में रहने वाले बच्चे, श्रमजीवी बालक, प्रवासी/विस्थापित परिवारों के बच्चे तथा असुरक्षित बच्चे आते हैं।

- शिकायत क्षतिपूर्ति समिति (Grievance Redressal Committee) की स्थापना करना
- यह सुनिश्चित करना कि जैंडर संबंधी तथा सामाजिक अपवर्जन (exclusion) के अन्य रूपों के मुद्दों का निराकरण सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया में हो जाए
- एक जिला शिक्षा समिति की स्थापना करना जिसमें सभी वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित हों जैसे, विशेषज्ञ, माता–पिता, महिलाएँ, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, अध्यापक, मुख्याध्यापक आदि।

यह सुनिश्चित करना कि केवल वार्षिक परीक्षाएँ ही नहीं होती है, कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होता है, कोई शारीरिक दड नहीं दिया जाता है और किसी भी प्रकार से बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयों, गाँवों, खंडों द्वारा तैयार किए गए योजना प्रस्तावों का संघटित करता है और एक जिला योजना तैयार करता है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए जैसे सभी बच्चों के लिए थोड़ी दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हैं, इत्यादि के लिए तीन या चार साल में एक बार विद्यालयों का मानचित्रण करना चाहिए।

प्रगति जाँच–3

1) मॉनीटरिंग से क्या अभिप्राय है, समुदाय यू.ई.ई. कार्यान्वयन का मॉनीटरिंग कैसे करता है?

.....

.....

.....

2) यू.ई.ई. के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग में जिला प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका की समीक्षा करें।

.....

.....

.....

ख) स्थानिक तथा सामाजिक मानचित्रण

यह संभव है कि आस–पड़ोस के बच्चे एक से अधिक विद्यालयों में पढ़ते हों और यह भी संभव है कि एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक से अधिक स्थानों से आते

हों। मात्र एक विद्यालय का प्रावधान कर देना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सभी बच्चे विद्यालय में आएँगे और अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। किसी जगह विद्यालय हो सकता है, पर विद्यार्थी न आए या वे कुछ महीनों के पश्चात् विद्यालय छोड़ कर चले जाएँ, या बहुत दिनों तक लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहे और इस प्रकार पढ़ाई में दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएँ।

इसके लिए विद्यालय मानचित्रण की आवश्यकता है। विद्यालय मानचित्रण

- उन बच्चों की पहचान करने में सहायक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या/और व्यवस्था संबंधित कारणों से विद्यालय में नहीं आ सकते।
- शैक्षिक सेवाओं के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण बनाने में सहायक है जिसमें आधारभूत सुविधाएँ, अध्यापक और आवश्यक उपकरण सम्मिलित हैं ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके।
- विद्यालय मानचित्रण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पग सम्मिलित हैं:
    - गाँव में परियोजना निर्माण
    - गाँव शिक्षा समिति का निर्माण, विशेषतः विद्यालय मानचित्रण के लिए
    - गाँव शिक्षा समिति के सदस्यों को विद्यालय मानचित्रण प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना
    - गाँव का एक मानचित्र बनाना
    - परिवारों का सर्वेक्षण करना
    - अंतिम मानचित्र बनाना जिसमें विभिन्न घरों (परिवारों) प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या तथा उनकी पंजीयन स्थिति दर्शाई गई हो।
    - गाँव/विद्यालय शिक्षा रजिस्टर तैयार करना
    - बनाए गए मानचित्र और घरों के विश्लेषण को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना और उनका वैधीकरण कराना
    - लोगों के सुझाव एकत्रित करना

विद्यालय मानचित्रण तैयार करने में जिला संसाधन केन्द्र (DRC) आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की योजना जिला स्तर पर यू.ई.ई. की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है।

ग) आयोजन के लिए संसाधन केन्द्र

डाइट तथा डी.पी.ई.पी. के पास एक–एक आयोजन तथा प्रबंधन इकाई होती है। इस इकाई का मुख्य कार्य जिला परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक योजना बनाना है। कलस्टर

संसाधन केन्द्रों, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों से अपेक्षा है कि ये वार्षिक तथा परिप्रेक्ष्य शिक्षा विकास योजनाओं के बनाने में विद्यालय स्तर पर अध्यापकों की, ग्राम पंचायत के स्टाफ की, तथा पंचायत समिति की सहायता कर सकते हैं।

घ) जिला योजनाओं का मूल्य निर्धारण (Appraisal)

जिला योजना को, इससे पूर्व इसे अंतिम रूप दिया जाए, एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है जिसे मूल्य निर्धारण कहते हैं। मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:

- यह मालूम करना कि क्या जिन आँकड़ों को साक्ष्य के रूप में दिया गया है, वे वास्तविक स्थिति पर आधारित हैं।
- यह मालूम करना कि क्या आवश्यकताओं का औचित्य प्रतिपादन युक्तियुक्त/विश्वासोत्पादक है।
- यह मालूम करना कि क्या वर्तमान स्थिति और यू.ई.ई. के अंतिम लक्ष्यों के बीच के अंतराल को भरने से प्रगति संभव है।
- क्या प्रस्तावित शिक्षण व्यूह रचनाएँ समय सीमा में काम चला देंगी?
- यह मालूम करना कि क्या प्रस्तावित योजनाएँ वित्तीय रूप से तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से व्यवहार्य तथा उपयुक्त या संभव है?
- यह मालूम करना कि इस योजना में आशंकाएँ तथा सुयोग क्या–क्या हैं?

सकारात्मक मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के पश्चात् प्रारूप योजनाओं का राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, बाल और महिला विकास विभागों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। राज्य के सरकारी विभाग इन योजनाओं को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप में अनुमोदित कर सकते हैं अथवा सफाई माँग सकते हैं या लक्ष्यों के यौक्तिकरण का सुझाव दे सकते हैं। इन स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करने या कराने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के जिम्मे होता है जो निजी विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों (साझीदारों) के सहयोग से इन योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

ङ) कार्यान्वयन

जिला स्तर तथा जिला स्तर से ने आयोजन मात्र एक शुरूआत है। योजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि चाहे जिला शिक्षा समिति हो, खंड शिक्षा समिति हो अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति हो अपनी कार्य पद्धतियों में बदलाव लाकर अध्यापकों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर निर्णयन प्रक्रिया में साझीदार बनाना पड़ेगा ताकि शिक्षा का अधिकार अवधारणा के आदेश का सही भावना में कार्यान्वयन हो सके। अध्यापन

समुदाय को आयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित करना यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय क्षेत्र के निवासी समुदायों के साथ मिलकर यू.ई.ई. के कार्यान्वयन में लगी प्रधान संस्थाओं के रूप में उभर रही है।

खंड शिक्षा अधिकारी और इसका स्टॉफ खंड संसाधन केन्द्र (BRC) के रूप में कार्य करते हैं। खंड संसाधन केन्द्र से यह अपेक्षा है कि यह प्रतिवष नई अध्यापन–अधिगम सामग्री के निर्माण में प्रत्येक विद्यालय की सहायता करेगा।

इसके अतिरिक्त, कई संकुल संसाधन केन्द्र (Cluster Resource Centre - CRC) भी होते हैं – संभवतः प्रत्येक 15 गाँव पर एक खंड संसाधन केन्द्र तथा संकुल संसाधन केन्द्र के स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रति मास प्रत्येक विद्यालय का एक बार दौरा करेगा और अध्यापकों की पाठ्यचर्यात्मक सहारा प्रदान करेगा। यू.ई.ई. के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला योजनाओं को कार्यान्वित करने में कुछ अन्य संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है जो नीचे विवेचित की गई है।

प्रगति जाँच–4

1) विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए आवश्यक आँकड़ों के स्रोत क्या हैं?

.....

.....

.....

2) किसी योजना के मूल्य निर्धारण से क्या अभिप्राय है? जिला शिक्षा विकास वार्षिक योजना का मूल्य निर्धारण कौन करता है?

.....

.....

.....

सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी

शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को प्रभावी रूप से पूरा करना केवल सरकारी संस्थाओं के बस की बात नहीं है। इसमें अन्य ग़ैर–सरकारी संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है और प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण (यू.ई.ई.) के कार्य में निजी संस्थाओं का साझीदार बनाने के लिए सरकार खुले दिन से राजी है। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन अन्य ग़ैर–सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रारंभिक शिक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है और इस दिशा में सार्थक कार्य कर रहे हैं। एक व्यापक नीति के रूप में सरकार ने सभी स्तरों पर एन.जी.ओ. के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय ले लिया है। ऐसे ग़ैर–सरकारी

संगठन जो कुछ वर्षों से समाज विकास कार्य में लगे हुए थे, आज "डे केयर सेंटर, चलते–फिरते क्रैच", बालवाड़ी, चरवाहा विद्यालय, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं। इन सभी संगठनों के साथ सरकार साझीदार के रूप में सामने आई हैं ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच जा सके जो विद्यालय नहीं आते। एन.जी.ओ. के साथ साझेदारी तीन रूपों में समझी जा रही है।

- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सीधी वित्तीय सहायता देना
- कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय और राज्य संसाधन संस्थाओं के माध्यम से और
- समुदाय के क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा वित्तीय सहायता देना

शिक्षा का अधिकार अवधारणा में एन.जी.ओ. के साथ साझेदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में विचारित की गई है:

जागरूकता बढ़ाने में

क्षमता निर्माण – जैसे प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, आयोजन और कार्यान्वयन के लिए समुदायों और संसाधन संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करना

यू.ई.ई. के मानीटरिंग में, शोध में और मूल्यों के रूप में

नवाचारी शिक्षण शास्त्र विकसित करने में

"विद्यालय से बाहर" बच्चों को मुख्यधारा में लाने में

जैंडर संबंधी सरोकारों को उजागर करने में

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने में

जिम्मेदारी की हिमायत करने में

कार्यक्रम इंटरवेंशन तथा उपलब्धियों के **मूल्य** निर्धारण में पारदर्शिता लाने में

7.3.4.1 विद्यालयों को मॉनीटर करना तथा पर्यवेक्षण

i) समुदाय की भूमिका

विद्यालयों के कार्य को मॉनीटर करने तथा पर्यवेक्षण में सबसे पहले समुदाय की भूमिका आती है। इस संदर्भ में ग्राम शिक्षा समितियाँ तथा समुदाय का कर्त्तव्य है कि वे विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को देखें और विद्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना तथा पर्यवेक्षण करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि:

- सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में आते हैं।

- लड़कियों और अन्य सुविधा वंचित समूहों की शिक्षा के संदर्भ में उनके पंजीयन तथा अवधारण सुनिश्चित करना,
- बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा दी जाती है।
- जहाँ प्राधिकृत हो, प्रबंधन अध्यापकों को भरती किया जाता है।
- विद्यालय का समय ग्राम शिक्षा समिति और माता–पिता के परामर्श के आधार पर निश्चित किया जाता है।
- विद्यालय आधारिक सुविधाओं (infrastructure) का उपयोग ठीक से हो रहा है।
- दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वे दी गई हैं।
- वैकल्पिक विद्यालयी केन्द्र ठीक प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं।
- अध्यापन–अधिगम सामग्री उपलब्ध है और उसका उपयोग ठीक से हो रहा है।

ii) खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका

खंड शिक्षा अधिकारी और उसकी टीम की निम्नलिखित भूमिका है:

- प्रत्येक विद्यालय, बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों समेत जो भी विद्यालय उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, का दौरा करेंगे।
- इस दौरे की अवधि में विद्यालय भवन, संरचना तथा विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।
- विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छता तथा सफाई, शौचालयों तथा वह पाकशाला जहाँ मध्याह्न भोजन पकाया जाता है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- अध्यापकों और मुख्याध्यापक द्वारा रखे गए विभिन्न अभिलेखों को देखेंगे।
- इस भ्रमण के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को अनुभूत आवश्यकताओं के विषय में पूरी जानकारी देंगे।
- क्षेत्र तथा विद्यालय के विषय में जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि संकुल में गाँवों की संख्या, पंचायतों की संख्या, संकुल निवास स्थल, अनुसूचित जाति/जनजाति, तथा अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या, विद्यालयों के अनुसार लड़के, लड़कियों की संख्या तथा विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं और कितने विद्यालय जाने योग्य बच्चे विद्यालय नहीं आते, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या कितनी है।
- कौन–कौन सी ग़ैर–सरकारी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जो विद्यालय की आयु के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं।

उपर्युक्त खंड की शैक्षिक रूपरेखा जो एक मॉनीटरिंग क्रिया के भाग के रूप में प्राप्त की है, वार्षिक जिला कार्य योजना तथा बजट के बनाने में काम आ सकती है।

प्रगति जाँच–5

1) पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप (सरकारी–निजी साझेदारी) से क्या अभिप्राय है, यह क्यों आवश्यक होती है?

.....

.....

.....

2) गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) की यू.ई.ई. में भागीदारी किस रूप में सोची गई है?

.....

.....

.....

3) यू.ई.ई. के लिए सूक्ष्म आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की समीक्षा करें।

.....

.....

.....

7.4 प्रारंभिक शिक्षा में अभिशासन तथा प्रबंधन संबंधी समस्याएँ / विषय

7.4.1 अभिशासन संबंधी समस्याएँ

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अभिशासन (गवर्नेंस) संबंधी समस्याएँ हैं जिनका निपटारा अनिवार्य है। एक ऐसा रचनातंत्र स्थापित करना अनिवार्य है, जो सुनिश्चित कर सकें कि बच्चे का विद्यालय में दाखिल होने का अधिकार परिपुष्ट रखा गया है। यह रचनातंत्र इतना सरल होना चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यालय के लिए अपनी प्रवेश संबंधी नीति का घोषित करना अनिवार्य हो, और प्रत्येक विद्यालय से यह अपेक्षा हो कि वह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और बताएगा कि कितने आवेदन पत्र आए और कितने प्रवेश हो पाए। कुछ दंड विधान जैसे आंशिक रूप से कुछ फंड (निधि) पर रोक लगाना, तथा प्रत्यायान (एक्रैडिटेशन) संबंधी मामले पर भी विचार

किया जा सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ना अनिवार्य है वे हैं: चयन संबंधी सूचना कैसे प्रकाशित की गई है, विद्यार्थियों का चयन कैसे होता है और उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्हें उनके विकल्प नहीं मिल पाए। समस्त व्यवस्था के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में ले लिया गया है; कम से कम किसी ऐसे विद्यालय में जहाँ की अवस्थाएँ यथोचित रूप से न्यायसंगत हैं। इन विषयों के समाधान में मिली असफलता असमान शैक्षिक अवसरों में परिणत होगी जिसका अर्थ है कि संविधान में दी गई गारंटी की असफलता होगी।

कुछ महत्वपूर्ण अभिशासन संबंधी विषय/समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

- यदि केन्द्रीय सरकार उन स्थानीय संस्थाओं को फंड देना जारी रखती है जो प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उत्तरदायी हैं; स्थानीय संस्थाएँ क्या आश्वासन देंगी कि सरकार से प्राप्त धनराशि सुरक्षित रहेगी और उसका उपयोग सही रूप से होगा?
- विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का निधीयन (funding) कैसे किया जाएगा?
- प्राप्त निधि के उपयोग के लिए स्थानीय अधिकारिकी को क्या स्वतंत्रता दी जाएगी?
- यदि स्थानीय संस्थाएँ अपने लिए स्वयं आवश्यक निधि का प्रबंध करने का दायित्व लें तो वे किन स्रोतों को काम में ला सकते हैं।
- यदि स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार मिल जाए तो क्या कर का आधार (प्राथमिक शिक्षा देना) पर्याप्त होगा जिससे इतनी आय हो जाए कि काम चल जाए?
- स्थानीय अधिकारिकी द्वारा प्राप्त वित्त का निरीक्षण कौन करेगा और उसका ऑडिट कौन?

इनमें से अधिकांश विषयों का निराकरण शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सुझाया गया है।

7.4.2 अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अध्यापक कैडर के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। अध्यापकों का प्रमाणन, भर्ती करना, बनाए रखना, तथा उनकी पदोन्नति विवाद के संभावित स्रोत हैं, जिनका निराकरण कानून के अंतर्गत होता है। जब हम यह कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण को व्यापक संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, तो हमारा इशारा इन अभिशासन तथा प्रबंधन विषयों/समस्याओं पर होता है।

राज्यों को अपने मापदंडों का अनुसरण करने का अधिकार बशर्ते, वे मापदंड एन.सी.टी.ई. द्वारा स्थापित नियमों के साथ संगतता रखते हैं। सरकार अध्यापकों की भर्ती कर सकती है और इस प्रक्रिया में समुदाय का भी अधिकार हो सकता है। परंतु मानकों/गुणवत्ता पर

कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार यह आश्वासन दें कि राज्य में एक भी एकल अध्यापक विद्यालय नहीं है। इस प्रथा का भी अनुसरण करना पड़ेगा कि 50 प्रतिशत अध्यापक महिलाएँ हों।

अध्यापकों को वेतन देने के मामले में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। ग़ैर–सरकारी विद्यालयों और ग़ैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के कारण मामला और अधिक जटिल हो गया है। अतः अध्यापकों के वर्तमान वेतन की बुद्धिसंगत व्याख्या एक विचार का विषय हो सकती है।

7.4.3 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने में विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय अभिशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा के सभी साझीदारों को साथ लाने में यह एक विस्तृत या व्यापक और साझी निर्णय प्रक्रिया में यह बुनियादी कार्य कर सकती है। प्रत्येक विद्यालय में मान्यता प्राप्त करने के 6 महीनों के भीतर एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना पड़ता है। इसकी अवधि दो वर्ष की होनी है।

विद्यालय प्रबंधन समिति में 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के अभिभावकों में से होंगे और 25 प्रतिशत सदस्य इस प्रकार चुने जाएँगे।

इनमें से एक–तिहाई सदस्य स्थानीय अधिकारिकी के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, दूसरे एक–तिहाई विद्यालय में से होंगे जिनका निर्णय विद्यालय के अध्यापक करेंगे। शेष एक तिहाई सदस्य स्थानीय शिक्षाविदों तथा विद्यालय के विद्यार्थियों में से होंगे जिनका निर्णय समिति के अभिभावक सदस्य लेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका की थोड़ी विस्तृत व्याख्या नीचे दी जा रही है।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा

बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जिनकी सुरक्षा अनिवार्य समझी जाती है वे निम्न प्रकार हैं:

- जीने का अधिकार
- अभिव्यक्ति का अधिकार
- स्वास्थ्य और विकास का अधिकार
- दुरूपयोग और शोषण से सुरक्षा का अधिकार
- शिक्षा के लिए समान अवसरों का अधिकार
- गौरव और सम्मान से जीने का अधिकार
- गुणवत्ता शिक्षा का अधिकार
- न्यूनतम मूल सुविधाओं का अधिकार

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम रूप से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व अध्यापकों, मुख्याध्यापक, तथा विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण

विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेंगी। यह योजना तीन वर्ष की अवधि तक चलेगी और इस में तीन वार्षिक उप–योजनाएँ होगी। इस योजना में निम्नलिखित विवरण होगा:

- प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षागत पंजीयन अनुमान
- भरती किए जाने वाले अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या जिसमें मुख्याध्यापक, विषय अनुसार अध्यापक तथा पार्ट टाइम अध्यापक सम्मिलित होंगे। यह सब कक्षा अनुसार और निर्धारित मानदंडों के अनुसार होंगे।
- अतिरिक्त आधारिक सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता ये भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार होंगे।
- तीन वर्ष के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए अलग) प्रति मद वित्तीय आवश्यकता
- अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय प्रावधान
- बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, तथा स्टेशनरी आदि के प्रबंध के लिए वित्तीय प्रावधान

संगत सरकारी विभागों के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक बालक नियमित रूप से विद्यालय जाए। इसका स्पष्ट निहितार्थ है कि बाल श्रम को जड़ से मिटा दिया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में समावेशी शिक्षा यह माँग करती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति उन विभागों और संगठनों के साथ गुंजायमान संबंध कायम रखे जिनका संबंध अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों तथा शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों से है ताकि उनके हक की सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें। विद्यालय प्रबंधन समिति को उन सरकारी विभागों के साथ भी कार्य करना होगा जिनका संबंध निःशक्त बच्चों की शिक्षा या उन्हें संचालित करने से है। यह इसलिए है ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समान अवसर सुनिश्चित किए जा सके।

इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में तेज़ी लाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को राज्य के ग्राम विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को घरेलू कामकाज तथा मज़दूरी करने के दायित्वों से मुक्ति मिल जाए और वे विद्यालय जाने लग जाएँ। विद्यालय प्रबंधन समिति को यह भी सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्थाएँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को पूरा करने लग जाएँ।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत शारीरिक दंड से तथा दुराचार से सुरक्षा भी आती है। अतः विद्यालय प्रबंधन समिति को चाहिए कि यह बाल अधिकारों के राष्ट्रीय/राज्यीय आयोग के साथ निकटता से संपर्क बनाए रखे तथा उससे सहयोग करें। इस प्रकार महिला और बाल विकास विभाग से सहयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को दुराचार से सुरक्षा मिल रही है।

प्रगति जाँच–6

1) विद्यालय में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है?

.....

.....

.....

2) विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का गठन क्या है?

.....

.....

.....

3) विद्यालय प्रबंधन समिति के उत्तरदायित्व क्या हैं?

.....

.....

.....

4) वे सरकारी विभाग कौन–कौन से हैं जिनके साथ मिलकर समिति को बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है?

.....

.....

.....

7.5 विद्यालय प्रबंधन बनाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.आई. एक्ट, 2009)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण (यू.ई.ई) के अंतर्गत विद्यालयों के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। एक सरकारी विद्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुई है, अधिनियम

के लागू होने के तीन महीने के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को फार्म संख्या 1 पर निम्नलिखित मानदंडों और मानकों तथा शर्तों के अनुपालन संबंधी यह घोषित करेगा कि:

क) यह विद्यालय एक सोसाइटी (संस्था) द्वारा चलाया जा रहा है जो "संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम", 1860 के अधीन करती है अथवा एक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है जिसका गठन विधिक रूप में हुआ है।

ख) विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, या संघ, अथवा अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से नहीं चलाया जा रहा है।

ग) यह विद्यालय भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप चलाया जा रहा है।

घ) विद्यालय भवनों तथा अन्य ढाँचों या मैदानों का प्रयोग मात्र शिक्षा या कौशल विकास के होता है;

ङ) विद्यालय का निरीक्षण किसी भी राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी या स्थानीय प्रशासन अधिकारिकी द्वारा किया जा सकता है।

च) विद्यालय के पास आवश्यक आधारिक मानदंडों के अनुरूप है।

छ) विद्यालय समय–समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना संबंधी रिपोर्ट देता रहता है और राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा अपेक्षित उन निर्देशों का पालन करता है जो विद्यालय मान्यता की शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा विद्यालय के संचालन में आने वाली कमियों को दूर करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ड्राफ्ट मॉडल नियमों के भाग IV, अनुच्छेद 7 (1, 2, 3) के अंतर्गत यदि कोई सरकारी, सहायता प्राप्त या ग़ैर–सहायता प्राप्त विद्यालय सरकार से मान्यता चाहता है तो उसे समाज के कमजोर वर्गों और सुविधा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देना होगा। यदि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं करता है तो उसे चेतावनी दी जा सकती है अथवा उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बच्चों के साथ अलग से बर्ताव नहीं किया जाएगा और वे कक्षा के अन्य बच्चों के साथ ही रहेंगे। उनके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा जैसा कि सुविधाएँ प्राप्त करने का हक – निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, पुस्तकालय तथा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाएँ इत्यादि।

कुछ राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासनों (अधिकारिकी) ने कुछ विशिष्ट सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों को "हाजिरी भत्ता" देने की नीति अपनाई है। इन वर्गों में सुविधा वंचित समूहों की लड़कियाँ, कमजोर वर्गों के बच्चे, निःशक्त बच्चे इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं।

विद्यालय से यह भी अपेक्षा है कि, जैसा कि एन.सी.टी.ई./एन.सी.ई.आर.टी. ने निर्धारित किया है कि यह योग्यता प्राप्त, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्त करेगा। यदि वह प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त नहीं करता है तो उस विद्यालय की मान्यता निरस्त की जा सकती है। लेकिन यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ विद्यमान नहीं हैं या पूरी योग्यता प्राप्त इतने व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं जितनों की राज्य के विद्यालयों

में आवश्यकता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के एक महीने के अंदर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भेजना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में केन्द्र सरकार की अध्यापकों की बुनियादी अर्हताओं में कुछ शर्तों के साथ छूट देने पर विचार कर सकती है। इन शर्तों के अंतर्गत, नियुक्त किए गए अध्यापकों को पाँच वर्ष के भीतर शैक्षिक अधिकारिकी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ प्राप्त करनी पड़ेगी। ये शर्तें उन अध्यापकों पर भी लागू होंगी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के समय न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते।

प्रगति जाँच–7

1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी निजी सहायता प्राप्त विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें हैं?

.....

.....

.....

2) किसी निजी विद्यालय से यह अपेक्षा क्यों है कि यह सुविधावंचित विद्यार्थियों को दाखिल करें?

.....

.....

.....

3) क्या कोई विद्यालय किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने से मनाकर कर सकता है?

.....

.....

.....

4) किसी विद्यालय में प्रशिक्षित/योग्यता प्राप्त अध्यापक ही क्यों नियुक्त किए जाएँ?

.....

.....

.....

7.6 प्रभावी प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अंतर्गत क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : "व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संघों की प्रकार्य संपन्न करने, समस्याओं को सुलझाने

और उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा अविच्छिन्न रूप में उन्हें प्राप्त करने की योग्यता" को क्षमता का नाम दिया जाता है। क्षमता निर्माण या क्षमता विकास शब्दों का उपयोग मानव और संस्थागत क्षमता स्थापित करने के काम के लिए किया जाता है।

क्षमता निर्माण (capacity building) का उपयुक्त उदाहरण, जो विशेषतः विकासशील देशों के लिए संगत है, वह है जल, कृषि, पोषण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अलग–अलग संस्थाएँ या संगठन, जैसे स्थानीय समुदाय समूह, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संभरक (providers) हैं। आंतरिक प्रबंधन संरचनाओं, सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी की पहुँच (अभिगम्यता), तथा नेटवर्किंग संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए अनिवार्य है।

7.6.1 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के प्रबंधन के लिए सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)

सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियाँ (आई.सी.टी.) वे प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनका प्रयोग यू.ई.ई. के प्रभावी हस्तांतरण के लिए सूचनाओं के संप्रेषित करने तथा उत्पन्न करने, संचय करने, प्रबंध करने तथा बाँटने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कूल नेट के लिए उपभोक्ताओं की सूचनाओं को ऑन लाइन संप्रेषित करने, सहयोग करने तथा विनिमय करने (आदान–प्रदान करने) की योग्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का संकेत कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों और अन्य ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस डिवासों के रूप में होता है, की ओर है। वे व्यक्ति (विद्यार्थी) जिनकी पहुँच आसानी से सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी तक है विभिन्न क्रियाकलाप में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु जिनकी पहुँच नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उपकरणों की उपलब्धता होते हुए भी बहुत से व्यक्तियों की अभिगम्यता इन तक नहीं होती। अतः वे इन का उपयोग नहीं कर पाते। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के प्रति विभेदी अभिगम्यता को प्रायः "डिजिटल डिवाइड" की संज्ञा दी जाती है।

सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) उपभोग के तीन चालक (ड्राइवर) हैं: **भाषा** (उस भाषा के उपयोग की योग्यता जो व्यापक रूप से इंटरनेट पर प्रयोग होती है), **साक्षरता** (विशेष रूप से अध्ययन की संस्कृति), तथा **अधिगम** (शैक्षिक उपलब्धि का स्तर)। ज्ञान समाज, आर्थिक विकास तथा संपन्नता के सृजन के लिए शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। **शिक्षा** केवल वह साधन ही नहीं हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति समाज और अर्थव्यवस्था में कुशल भागीदार बनते हैं, सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) उपयोग के प्रसार में भी यह एक मुख्य चालक है। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का विकास एक ऐसे वातावरण की रचना करेगा जिसमें व्यक्ति ज्ञान में साझेदारी करेगा और ज्यों–ज्यों इस ज्ञान का विभाजन होगा (अर्थात ये अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होगा), अधिक ज्ञान का सृजन होगा।

सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का उपयोग शिक्षा से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है जैसे इसका उपयोग प्रशासनिक और अध्यापन कुशलता को बढ़ाने में, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (पाठ्यपुस्तकों, तथा अध्यापकों और उनकी सहायक सामग्री) में संसाधन विकास में, औचित्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करने में, और ऐसे अध्यापकों की सहायता करने में जो कुछ नई अध्यापन संबंधी चुनौतियों का सामना करने में भली–भाँति सुसज्जित नहीं है, किया जा सकता है।

7.6.2 स्कूल नेट क्या है?

स्कूल नेट विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है; जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रशासनिक एजेंसियाँ, अभिभावक और सामान्य जन परस्पर जुड़ जाते हैं और सूचना और संसाधनों का आपस में आदान–प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह नेटवर्क से जुड़ी शैक्षिक संस्थाओं के कुशल और प्रभावी प्रबंधन को सहारा देता है। संक्षिप्त रूप में कहें तो स्कूल नेट शैक्षिक अधिकारिकी, विद्यालयों, अध्यापकों, अभिभावकों, समुदाय, और विस्तृत शैक्षिक संसाधनों का नेटवर्क है। यह शब्द स्कूल नेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सामान्य नाम है जिसका संबंध विद्यालयी शिक्षा प्रशासन तंत्र का सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित ई–प्रबंधन है जो संगठनात्मक रूप से, काफी रूपों में पाए जाते हैं। एक स्कूल नेट किसी सरकारी विभाग में स्थापित कार्यक्रम हो सकता है, यह एक ग़ैर–सरकारी संगठन, किसी निजी कम्पनी या एक विद्यालय में भी स्थापित हो सकता है। यह सभी स्टेकहोल्डरों को दुनिया के किसी कोने से यू.ई.ई. के विषय में सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में स्कूल नेट को एक राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में समझा जा सकता है जिसका उद्देश्य विद्यालयों में सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित तथा समर्थित करना है।

स्कूल नेट पृथक–पृथक शैक्षिक संस्थाओं को संघटित करते हैं और शैक्षिक सूचना तंत्र के प्रबंधन की नींव रखते हैं तथा प्रभावी शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक डाटाबेस तैयार करते हैं। तथापि, यदि सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के देने में प्रभावी रूप से करना है तो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी।

7.6.3 स्कूल नेट के कार्य तथा सेवाएँ

स्कूलनेट द्वारा दी जाने वाले के कुछ कार्य, क्रियाकलाप तथा सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

1) प्रौद्योगिकीय सेवाएँ

- कनैक्टिविटी सेवाएँ विद्यालयों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए तथा सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) का कार्य करते हैं और विभिन्न संगठनों में साझेदारी सुगम बनाते हैं।

- विद्यालयों को उपयुक्त उपकरणों की आपूर्ति करना
- विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रबंधन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर सोलुशन विकसित करना

2) विषयवस्तु संबंधी सेवाएँ

- अध्यापकों तथा अध्येताओं को उपयुक्त इंटरनेट विषयवस्तु की निदेशित करने के लिए पोर्टल साइट्स
- संवृत्ति स्तर पर विषयवस्तु विकास (विशेषज्ञों द्वारा विकसित)

3) सहयोगात्मक परियोजनाएँ

- ऑनलाईन परियोजनाओं में विभिन्न संसाधन केन्द्रों के सम्मिलित होने तथा सहयोग में सुगम बनाना
- देशीय स्तर पर सहयोगात्मक परियोजनाओं का अभिकल्पन तथा संचालन

4) प्रोफेशनल विकास (सांवृत्तिक विकास)

- अध्यापन और अधिगम में सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी कौशलों पर अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण।

5) प्रयोगीकरण, नवाचार, तथा समर्थन

- विभिन्न पर्यावरणों तथा परिस्थितियों पर प्रायोगिक (पॉयलट) परियोजनाएँ
- अध्यापन संबंधी सर्वोत्तम प्रविधियों को विकसित करना तथा प्रचार–प्रसार करना
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में नवाचारों को बढ़ावा देना तथा समर्थन करना

6) विद्यालय और संसाधनों का प्रबंधन

- निर्णयन प्रक्रिया के लिए सूचना प्रदान करना
- नीति निर्धारण के लिए सूचना प्रदान करना

7.6.4 स्कूल नेट : एक शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली के रूप में

सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियों विद्यालयों की कुशलता तथा अन्य विद्यालयों से डाटा संचयन की गति में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है और प्रशासनीय कार्यों में लगाई गई मेहनत को कम कर सकती है। ऐसे बहुत सारे सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण तथा प्रणालियाँ हैं जो प्रशासनीय कार्य या प्रयास को कम करने या सूचना के प्रति और अधिक अभिगम्यता प्रदान करने के लिए उनका प्रत्यक्ष महत्व है।

जब विद्यालय परिवेश में स्कूलनेट आ जाता है तो उस परिवेश में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएँगी। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी कौशल के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के कौशल

आते हैं – जैसे ई–मेल भेजने की योग्यता, उच्च स्तरीय कौशल, जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सूचना ढूँढ़ने, उसका मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने तथा संश्लेषण करने की योग्यता। इन उच्च स्तरीय कौशलों का अनुप्रयोग प्रबंधन से सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है।

प्रगति जाँच–8

1) स्कूलनेट से क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

2) आपके विचार में जिला स्तर पर यू.ई.ई. के प्रबंधन और बेहतर क्षमता निर्माण में स्कूलनेट कैसे सहायता कर सकता है?

.....

.....

.....

7.7 वित्त व्यवस्था संबंधी प्रारूप

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन (संचालन) के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक, यू.के. सरकार इत्यादि के विकास सहायता प्राप्त की है, अतः विभिन्न परियोजनाओं को सहायता देने के लिए अनुदानों के वितरण में सभी कानूनी समझौतों का पालन करना पड़ेगा। इसका यह भी निकलता है कि इन अंतरराष्ट्रीय दाताओं से अनुदान की अगली किश्त प्राप्त करने के लिए विद्यालय स्तर, हैबिटेशन बस्ती, गाँव, खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर कार्य रिपोर्ट तथा खर्चे की रिपोर्ट समय पर देनी होगी।

- **खर्च बाँटने के लिए व्यवस्था**

  सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता खर्च बाँटने की व्यवस्था पर आधारित थी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच यह आधार नौवीं पंचवर्षीय योजना में 85 : 15 था, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 75 : 25 था और उसके पश्चात् यह आधार 50 : 50 हो गया था। राज्य सरकारों से अब यह अपेक्षा है कि वे यू.ई.ई. की वित्त व्यवस्था की और अधिक जिम्मेदारी लेंगी। राज्य सरकारों से लागत को बाँटने संबंधी प्रतिबद्धता लिखित रूप में ली जाती है।

- राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी: राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को एक

परोपकारी (धर्मार्थ) सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराएँ। भारत सरकार इस प्रकार के अनुदान केवल राज्य सरकारों या संघीय क्षेत्रों को ही देती है। राज्य सरकार अनुदान की दूसरी किश्त तभी देगी जब इससे पूर्व राष्ट्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त किश्त (हिस्सा) राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को स्थानांतरित हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों के वेतन खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उपर्युक्त अनुपातों में बाँटते हैं।

प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) सर्व शिक्षा अभियान का भाग नहीं है। इस कार्यक्रम में खाद्यान्न तथा इसके परिवहन खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करती है तथा पके भोजन का खर्च राज्य सरकारें वहन करती हैं। केन्द्र सरकार की प्रारंभिक शिक्षा संबंधी शेष सभी योजनाएँ नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद सर्व शिक्षा अभियान में मिला दी गई हैं (सिवाय राष्ट्रीय बाल भवन और एन.सी.टी.ई.)।

जिला शिक्षा योजनाओं के लिए अनिवार्य है कि ये विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध निधि/संसाधनों का स्पष्ट ब्यौरा दें। ये योजनाएँ हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, जवाहर ग्राम समिति योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राज्य योजना, विदेशी निधीयन (यदि कोई है तो) सभी स्रोतों से प्राप्त निधि का उपयोग विद्यालय भवनों को सुधारने, रखरखाव करने तथा मरम्मत के लिए करना होगा। अध्यापन–अधिगम सामग्री और स्थानीय शासन का क्षमता निर्माण को शनैःशनै ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत आदि को स्थानांतरित करना होगा। यह कार्य इन संस्थाओं का होगा कि प्राप्त निधि का प्रयोग सर्वाधिक उत्तम रूप में योजना के प्राचलों के अनुसार कैसे किया जाए।

प्रगति जाँच–9

(1) यू.ई.ई. में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय उत्तरदायित्व को बाँटने का क्या प्रारूप है?

.....

.....

.....

क्रियाकलाप–1

1) अपने विद्यालय में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के पंजीयन को बढ़ाने तथा उन्हें विद्यालय में बनाए रखने की एक योजना तैयार करें।

.....

.....

.....

2) उपर्युक्त क्रिया के लिए बजट तैयार करें।

.....

.....

.....

3) व्याख्या करें कि आप इस योजना तथा उसके बजट को स्वीकृत कराने के लिए किस अधिकारिकी को सौंपेगे।

.....

.....

.....

7.8 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यू.ई.ई. के कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत कर दिया है। आपने यह भी पढ़ा है कि जिला, खंड, गाँव तथा विद्यालय स्तर पर सूक्ष्म आयोजन से क्या अभिप्राय है, इन स्तरों पर शिक्षा विकास योजना तैयार कौन कर सकते हैं, शिक्षा विकास योजना की विषयवस्तु क्या होगी, इस योजना का मूल्य निर्धारण क्या होता है और इसे कैसे अनुमोदित कराया जाता है; और योजना के कार्यान्वयन का मानीटरिंग कौन करेंगे।

इनके अतिरिक्त आपने प्रारंभिक शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन में अभिशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया है। यह भी पढ़ा है कि एक निजी सहायता प्राप्त/ग़ैर सहायता प्राप्त विद्यालय को मान्यता कौन देता है, इसकी प्रविधि क्या है, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित है।

आपने यह भी सीखा कि किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश पाने से मना नहीं किया जा सकता। आगे सीखा कि बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है। अन्त में आपने पढ़ा कि सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्कूलनेट वर्किंग किस प्रकार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड तथा विद्यालय स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर क्षमता निर्माण तथा प्रबंधन के लिए सहायक हो सकता है। आपने प्रारंभिक शिक्षा के निधीयन प्ररूप के विषय में भी पढ़ा।

7.9 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

Educational planning and management in small states: concepts and experiences-By Godfrey Baldacchino, Charles Farrugia, Commonwealth Secretariat **A Comprehensive Study of Education** - By S. Samuel Ravi

http://ssa.ap.nic.in/

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarva_Shiksha_Abhiyan

http://www.educationforallinindia.com/page112.html

http://scertdelhi.info/

7.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) सूक्ष्म आयोजन क्या होता है। अपने क्षेत्र में समुदाय स्वामित्व के संदर्भ में विवेचना करें।

2) अपने जिले में विद्यमान कुल बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. की सूची बनाएँ और इनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करें।